अक्टूबर-२०२३ ◆ वर्ष १२ ◆ अंक ०५ ◆ उदयपुर

ओ३म्

सत्यार्थ सौरभ

मासिक

अक्टूबर-२०२३

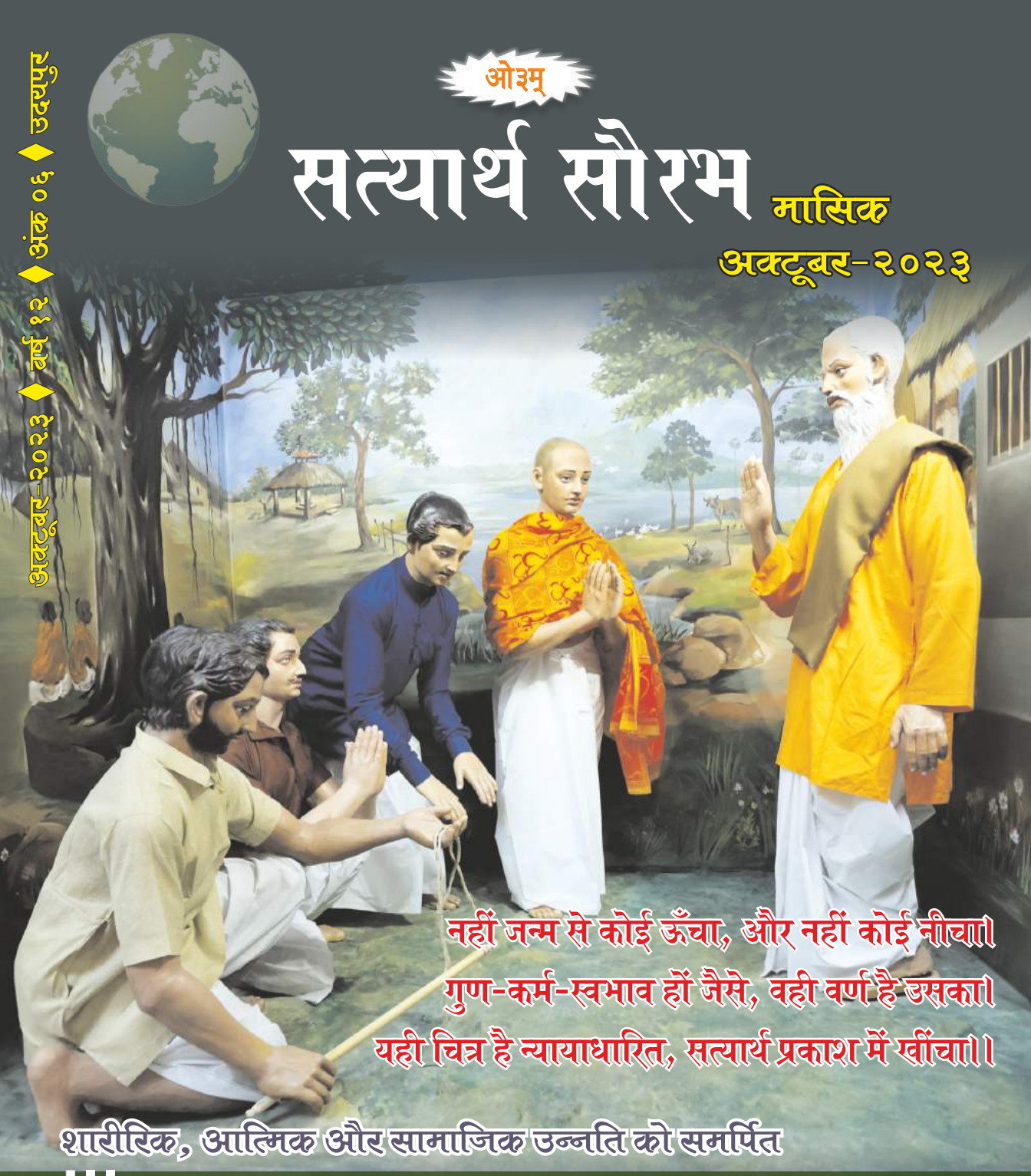

नहीं जन्म से कोई ऊँचा, और नहीं कोई नीचा।
गुण-कर्म-स्वभाव हों जैसे, वही वर्ण है उसका।
यही चित्र है न्यायाधारित, सत्यार्थ प्रकाश में खींचा।।

शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति को समर्पित

श्रीमद्दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास
नवलखा महल परिसर, गुलाब बाग, महर्षि दयानन्द मार्ग,
उदयपुर–313001 (राज.)

₹१५ १४४

योग के साथ-साथ ताज़ा और शुद्ध खाना भी है ज़रूरी

महाशय राजीव गुलाटी
चेयरमैन, महाशियाँ दी हट्टी (प्रा०) लि०

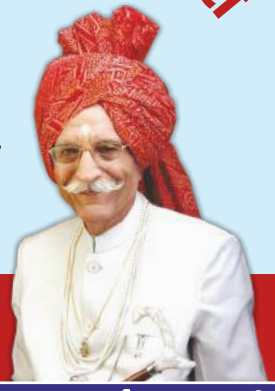

महाशय धर्मपाल गुलाटी
संस्थापक चेयरमैन, महाशियाँ दी हट्टी (प्रा०) लि०

MDH

मसाले

सेहत के रखवाले असली मसाले सच-सच

For More Information Visit us on :

mdhspicesofficial | mdhspicesofficial | mdhspicesofficial | SpicesMdh

www.mdhspices.com

SCAN FOR MDH ORIGINAL RECIPES

सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाओं को अपने आँचल में समेटे, सम्पूर्ण परिवार के लिए, हर आयु समूह के लिए, पठनीय और समर्पित

न्यास का मासिक मुखपत्र

सत्यार्थ सौरभ

प्रमुख संरक्षक – सत्यार्थ सौरभ

डॉ. सुखदेव चन्द सोनी (अमेरिका)

परामर्शदाता संपादक मण्डल

डॉ. महावीर मीमाँसक

आचार्य वेदप्रकाश श्रोत्रिय

डॉ. ज्वलंत कुमार शास्त्री

डॉ.सोमदेव शास्त्री

डॉ. रघुवीर वेदालंकार

आचार्य वेदप्रिय शास्त्री

सम्पादक

अशोक आर्य

प्रबन्ध सम्पादक

भवानी दास आर्य

प्रबन्ध सहयोग (ग्राफिक्स डिजाईनर)

नवनीत आर्य (मो. 9314535379)

व्यवस्थापक

भँवर लाल गर्ग

सहयोग	भारत	विदेश
संरक्षक	11000 रु.	$ 1250
आजीवन	1500 रु.	$ 300
पंचवर्षीय	600 रु.	$ 125
वार्षिक	150 रु.	$ 30
एक प्रति	15 रु.	$ 10

भुगतान राशि धनादेश/चैक/ड्राफ्ट श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास के पक्ष में बना न्यास के पते पर भेजें। अथवा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया मेन ब्रांच दिल्ली गेट, उदयपुर
खाता संख्या : 310102010041518
IFSC CODE- UBIN 0531014
MICR CODE- 313026001
में जमा करा अवश्य सूचित करें।

सृष्टि संवत्
१९६०८५३१२४
आश्विन कृष्ण अष्टमी
विक्रम संवत्
२०८०
दयानन्दाब्द
१९९

सत्यार्थ-सौरभ में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार सम्बन्धित लेखक के हैं। सम्पादक अथवा प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नही है। किसी भी विवाद के प्रतिवाद हेतु न्यायक्षेत्र उदयपुर ही होगा। आपत्ति की अवधि प्रकाशन तिथि से एक माह के भीतर ही मानी जायेगी।

विज्ञापन शुल्क (प्रति अंक)

कवर 2 व 3 (भीतरी आवरण) रंगीन 5000 रु.

अन्दर पृष्ठ (श्वेत-श्याम)

पूरा पृष्ठ (श्वेत-श्याम)	3000 रु.
आधा पृष्ठ (श्वेत-श्याम)	2000 रु.
चौथाई पृष्ठ (श्वेत-श्याम)	1000 रु.

October - 2023

०७

१३

समाचार २९

हलचल ३०

०४ वेद सुधा
०६ सत्यार्थ मित्र बनें
१६ कर्णावती ने हूँमायु को भेजी राखी?
१८ महर्षि दयानन्द के दो सौ उपकार
२० वेदों में विज्ञान के उद्घोषक
२३ सत्यार्थ प्रकाश और मोक्ष
२५ वानर पदार्थ विवेचन
२७ स्वास्थ्य- शरद ऋतु
२८ कथा सरित- कहानी दयानन्द की

स्वामी — श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थप्रकाश न्यास, नवलखा महल, गुलाब बाग, उदयपुर

वर्ष - १२ अंक -०६

मुद्रण — द्वारा - चौधरी ऑफसेट, (प्रा. लि.) ११-१२, गुरु रामदास कॉलोनी, उदयपुर

प्रकाशक

श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थप्रकाश न्यास

सत्यार्थ प्रकाश भवन, नवलखा महल, गुलाबबाग, उदयपुर (राजस्थान) 313001

(0294) 4017298, 09314535379, 7976271159

www.satyarthprakashnyas.org, E-mail : satyarthsandesh@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थप्रकाश न्यास, उदयपुर की ओर से प्रकाशक, मुद्रक अशोक कुमार आर्य द्वारा निदेशक– मुकेश चौधरी, चौधरी ऑफसेट प्रा. लि., 11/12 गुरुरामदास कॉलोनी, उदयपुर से मुद्रित तथा कार्यालय श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थप्रकाश न्यास, सत्यार्थ प्रकाश भवन, नवलखा महल, गुलाबबाग, महर्षि दयानन्द मार्ग, उदयपुर–313001 से प्रकाशित, सम्पादक–अशोक कुमार आर्य

ओ३म्

वेद सुधा

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्

कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते। तदिद्ध्यस्य वर्धनम्।। - सामवेद पू. २२४

महे प्रचेतसे- महान् ज्ञानी, सर्वज्ञ, **देवाय-** कमनीय प्रभु के लिए, **कत् उ-** थोड़ा-सा भी, **वचः शस्यते-** वचन [जो] जाता है। **तत् हि-** वह सचमुच, **अस्य-** इस (स्तोता) का, **वर्धनम् इत्-** बढ़ानेवाला ही होता है।

व्याख्या

इस मंत्र में भगवान की स्तुति का फल बताया गया है। भगवान का थोड़ा-सा भी स्तवन जीवों का कल्याणकारक होता है।

आर्ष शास्त्रों में स्तुति-प्रार्थना-उपासना का बहुत विधान है। इनके स्वरूप के सम्बन्ध में संसार में बहुत भ्रम फैला हुआ है। इनका यथार्थस्वरूप न जानने के कारण लोग इन तीनों को व्यर्थ मानते हैं, अतः इन तीनों का थोड़ा-सा स्वरूप यहाँ वर्णन करते हैं-

किसी वस्तु के गुणों को यथाशक्ति ठीक-ठीक जानकर उनका कीर्तन करना स्तुति है। उससे विशेष लाभ है। जीव का सारा यत्न सुख-प्राप्ति और दुःख-विनाश के लिए है। उसे ज्ञानी गुरु और वेदादि सत्य-शास्त्रों के स्वाध्याय से ज्ञान हुआ है कि आनन्द परमेश्वर में है। अपने में आनन्द के अभाव के कारण आनन्द की लालसा होती है और परमेश्वर में आनन्द की सत्ता के ज्ञान से वह भगवान् के इस गुण का कीर्तन करता हुआ उसकी प्राप्ति के लिए व्यग्र हो उठता है और रोकर कहता है-

कदा न्वन्तर्वरुणे भुवानि। - ऋग्वेद ७/८६/२

'कब मैं सबसे श्रेष्ठ अन्तर्यामी के भीतर प्रवेश करूँगा?'

अर्थात् कब मेरा संसार-पाश से छुटकारा होकर भगवान से मेल होगा?

अपने अन्दर इस अनुभव होनेवाली त्रुटि को दूर करने और उसके प्रतिपक्ष उत्तम गुण को प्राप्त करने की व्यग्रता का नाम प्रार्थना है। उस व्यग्रता को दूर करने के साधनों के अनुष्ठान का नाम उपासना है।

अब थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, यदि स्तुति न की जाए, तो प्रार्थना और उपासना हो ही नहीं सकती। प्रार्थना-उपासना का बड़ा मूलाधार स्तुति है। स्तुति के कारण अपनी त्रुटि तथा उसके दूर करने के साधन ज्ञात होते हैं और उसी कारण मनुष्य प्रार्थना-उपासना में प्रवृत्त होता है। इसलिए वेद ठीक ही कहता है-

तदिद्धयस्य वर्धनम्।

'यह उसकी वृद्धि करनेवाला होता है।'

मानो इसी मन्त्र का अनुवाद करते हुए ही किसी ने कहा है-

प्रत्यवायो न विद्यते।

'इससे कर्म की हानि नहीं होती।' वरन्-

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।

'इसका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान बड़े भय से बचा देता है।'

भगवान तो अत्यन्त कृपालु हैं, उसके अनन्त दान हैं, जैसाकि वेद में कहा है-

सहस्त्रं यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः।

'जिसके सैकड़ों दान हैं, अथवा असीम दान हैं।'

हाँ, स्तुति आदि के लिए एक नियम है। वह यह कि-

न पापासो मनामहे नारातयो न जल्हवः। - ऋग्वेद ८/६१/११

'मन में पाप का भाव रखकर अथवा कंजूसी की वृत्ति से और झल्ले (सुकर्मरहित) होकर हम उसकी स्तुति आदि न करें।'

अर्थात् किसी का अनिष्ट करने, किसी को हानि पहुँचाने आदि पापों की भावना से हमें भगवान की स्तुति-प्रार्थनादि नहीं करनी चाहिए। वरन् दृढ़ निष्ठा और आस्था से स्तुति-प्रार्थना-उपासना करें। यदि उससे अभीष्ट सिद्ध न हो तो फिर भगवान से यों कहें-

पृच्छे तदेनो वरुण।

'हे वरुण! मैं तुमसे अपना पाप पूछता हूँ।'

जब मनुष्य प्रभु के मार्ग (धर्म) पर चलने लगता है, तब उसे कई प्रलोभन आ घेरते हैं। उस समय साधक को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए-

महे चन त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम्।
न सहस्त्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ।। - ऋग्वेद ८/१/५

सब प्रकार की जीवन-सामग्री देनेवाले प्रभो! तुझे मैं किसी बड़े शुल्क के बदले भी न त्यागूँ, न सैकड़ों के बदले, न हजारों के बदले और हे अनन्त धनों वाले! न ही लाखों के बदले।

नचिकेता के सामने जब प्रलोभन आये थे, तब नचिकेता= अपने ध्येय में सन्देह-रहित नचिकेता ने कहा था-

श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः।
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते।।
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो.....।। - कठोपनिषद् १/१/२६,२७

ये विनाशी पदार्थ मनुष्य के इन्द्रियों के तेज को जीर्ण करते हैं। सारे संसार का आयु भी थोड़ा है, अतः नाच-गान, सवारी अपने पास रख। धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती।

जब ऐसी दृढ़ धारणा हो जाए और साधक यह कह सके-

माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोत्।

'परमेश्वर का मैं कभी त्याग न करूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा कभी परित्याग नहीं किया।'

तब साधक की वृद्धि में सन्देह ही क्या है, क्योंकि अब वह सबकी वृद्धि करनेवाले से मेल कर चुका है।

संसार के पदार्थ तो वास्तव में नीरस हैं, उनमें जो रस की प्रतीति हो रही है, वह प्रभु की व्याप्ति के कारण है। यदि भगवान हमारा त्याग कर दें, तो हमें कभी भी किसी पदार्थ में रस प्रतीति न हो, अतः आओ भगवान से मेल बनाये रखने के लिए उसकी स्तुति करें।

संसार के सकल पदार्थ जो हमने संगृहीत किये हैं, यही रह जाएँगे। कोई एक भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा केवल धर्म। धर्म का भाव-ईश्वर-पूजा है। स्तुति-प्रार्थना तथा उपासना के द्वारा त्यागपूर्वक भगवान का आराधन ईश्वर-पूजा है। वह मुख्य धर्म है, वह मनुष्य का साथ देता है। जिसने उसका संचय नहीं किया, वह रीता होने के कारण अन्त समय पछताता है और वह भी पछताता है, जिसने धर्म के स्थान में अधर्म का संग्रह किया है। धर्म, शान्ति-सन्तोष का हेतु होता है। अधर्म से अन्त समय में बेचैनी और व्याकुलता का अनुभव होता है, दोनों एक-दूसरे के विपरीत जो हुए।

संकलन कर्त्ता एवं भाष्यकार- स्वामी वेदानन्दतीर्थ सरस्वती
साभार- स्वाध्याय-सन्दीप

पत्रिका से सम्बन्धित किसी प्रकार की जानकारी/शिकायत के लिये निम्न चलभाष पर सम्पर्क करें।
09314535379

पाठकों के पास 'सत्यार्थ सौरभ' डाक विभाग की अव्यवस्था के कारण अनेक बार समय पर नहीं पहुँच पाती है। पाठक न्यास को ही दोषी मानते हैं, जिसे अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। परन्तु वास्तविकता है कि यहाँ से प्रत्येक माह की 7 तारीख को पत्रिका प्रेषित कर दी जाती है। पश्चात् सब कुछ डाक विभाग की कृपा पर निर्भर करता है। फिर भी आपसे निवेदन है कि प्रत्येक माह की 20 तारीख तक भी पत्रिका न मिलने पर कृपया इसी चलभाष पर सम्पर्क करें। -सम्पादक

सत्यार्थ मित्र बनें

न्यास के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 5100 रु. (पाँच हजार एक सौ) वार्षिक का सहयोग प्रदान करें।

आपका मात्र ५१०० रुपये वार्षिक का सहयोग न्यास के कार्य को अद्वितीय गति प्रदान कर सकता है।

हमारे अत्यन्त आत्मीय बन्धुजन!

इस अपील को मेरी व्यक्तिगत अपील कहिए अथवा न्यास की अपील समझिए। यह आप तक पहुँचे और आपकी आत्मीयता हमें प्राप्त हो, इसी नाते हम प्रथम बार अर्थ सहयोग का निवेदन कर रहे हैं।

आपको यह जानकारी होगी ही कि नवीन, आकर्षक प्रकल्पों का निर्माण कर न्यास सहस्रों लोगों तक वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्वों को अग्रप्रसारित कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश भवन, नवलखा महल, उदयपुर द्वारा आर्यावर्त्त चित्रदीर्घा में वेद, वेद के प्रादुर्भाव, भारतीय ऋषियों के योगदान, योगिराज श्री कृष्ण और भगवान राम के पावन जीवन–चरित्र, मेवाड़ की माटी के गौरव महाराणा प्रताप, आर्यसमाज के रत्नों, भारत को स्वतन्त्रता दिलाने वाले क्रान्तिकारियों, सत्यार्थ प्रकाश चित्रावली एवं महर्षि दयानन्द के जीवन चरित्र के माध्यम से व संस्कार वीथिका के माध्यम से मानव निर्माण की पूरी योजना आगन्तुकों के सामने रखी जा रही है। इस क्रम में मानों महर्षिवर की संस्कार विधि मूर्तरूप में चित्रित हो गयी है।

वहीं उच्चतम गुणवत्ता के 3D थियेटर का निर्माण कर महापुरुषों के जीवन–चरित्र का दिग्दर्शन भी कराया जा रहा है। यहाँ यह अंकित करना आवश्यक है कि मुक्त हस्त से दिए हुए उदार अर्थ के सहयोग से भव्य संस्कार वीथिका परिसर व थियेटर का निर्माण माननीय सुरेश चन्द्र जी आर्य; अहमदाबाद और माननीय दीनदयाल जी गुप्त; कोलकाता के पवित्र सहयोग से हो पाया है एवं संस्कारों का निर्माण आर्यजनों के सामूहिक सहयोग से एकत्रित धन से हुआ है। परन्तु इनको गति देने के लिए, वर्ष में सारे प्रकल्प 365 दिन गतिशील रहें, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ लोग आगे आएँ और प्रतिवर्ष अपना योगदान दें, इसीलिए आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ। **मैं व्यक्तिगत रुप से अनुगृहीत होऊँगा अगर आप मात्र 5100 सौ रुपये प्रतिवर्ष देने का संकल्प लेंगे।** न्यास का एकाउन्ट नम्बर भी नीचे अंकित है। न्यास को प्रदत्त दान आयकर अधिनियम की धारा 80G के अन्तर्गत कर मुक्त है।

हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर 5100 रुपये वार्षिक का यह अर्थ सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। **निश्चित मानिये आपके सहयोग से जो ऊर्जा और गति हमें मिलेगी वह लाखों लोगों तक वैदिक संस्कृति के उदात्त मूल्यों को सम्प्रेषित करने में मील का पत्थर साबित होगी।**

निवेदक- अशोक आर्य, अध्यक्ष-न्यास

चैक श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास के पक्ष में बना न्यास के पते पर भेजें। अथवा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मेन ब्रांच, दिल्ली गेट, उदयपुर बैंक एकाउन्ट का विवरण : **AC. No. : 310102010041518, IFSC CODE- UBIN 0531014, MICR CODE- 313026001** में जमा करा कृपया सूचित करें।

सत्यार्थ प्रकाश पहेली - ०३/२३ के विजेता

सत्यार्थ प्रकाश पहेली- ०३/२३ के चयनित विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं- श्री रतन लाल राजौरा; निम्बाहेड़ा (राज.), श्री पुरुषोत्तम मेघवाल; उदयपुर (राज.), श्रीमती सुनिता सोनी; बीकानेर (राज.), श्रीमती रूपा देवी सोनी; बीकानेर (राज.), श्री प्रधान जी आर्यसमाज; बीकानेर (राज.), श्रीमती उषा देवी सोनी; बीकानेर (राज.), श्री महेश चन्द्र सोनी; बीकानेर (राज.), श्रीमती कंचन देवी; बीकानेर (राज.), डॉ. राजबाला कादियान; करनाल (हरियाणा), श्री हीरा लाल बलई; उदयपुर (राज.), श्री फूलचन्द यादव; मुरादनगर (उ.प्र.), श्री आर. सी. आर्य; कोटा (राज.), श्रीमती कमलकान्ता सहगल; पंचकूला (हरि.), श्री नन्दलाल आर्य; बेतिया (बिहार), श्री हर्षवर्धन आर्य; नवादा (बिहार), श्री रमेश चन्द्र राव; मन्दसौर (म.प्र), श्री ब्रह्मदेव आर्य; शेखपुरा (बिहार)।

सत्यार्थ सौरभ के उपर्युक्त सभी सुधी पाठकों को हार्दिक बधाई।

आत्म निवेदन

कानून के समक्ष सब समान हैं, क्या वास्तव में? सबको न्याय मिलता है, क्या वास्तव में?

हमारा संविधान ही नहीं प्राकृतिक न्याय भी यह अपेक्षा रखता है कि कानून, उसका पालन और उसके उल्लंघन पर दण्ड यह राजा और रंक सभी के लिए समान हो। यद्यपि आदि विधान निर्माता मनु महाराज के अनुसार तो समान अपराध करने पर राजा अथवा सम्भ्रान्त श्रेणी में आने वाले व्यक्ति को अधिक दण्ड मिलना चाहिए क्योंकि वह ज्ञान और कर्त्तव्य की दृष्टि से ऊँचे पायदान पर खड़ा है, उससे त्रुटियाँ न करने की अपेक्षा की जाती है।

देखें मनु लिखते हैं 'जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड होय उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दण्ड होवे।' परन्तु यह आदर्श न अपना पायें तो कम से कम प्रभुत्व सम्पन्न व्यक्ति को किसी विशेष श्रेणी में न रखा जाय, यह तो हमारे संविधान की भी अपेक्षा है। परन्तु आये दिन इस अवधारणा को हम कुचला जाते हुए देखते हैं। हमारे समक्ष ऐसे उदाहरण आते रहते हैं। हमने देखा कि कारागार में आज अभियुक्त घोर-कष्ट तथा बाधाओं का सामना करते हैं जबकि कुछ विशिष्ठ व्यक्तियों को पाँच सितारा सुविधाएँ मिल जाती हैं। कहा जाता है उच्चतम न्यायालय संविधान और लोगों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। भारत में उसे एक प्रकार से चुनी हुयी सरकार से भी ऊपर का स्थान मिल चुका है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर बहुमत के मद में चुनी हुयी सरकार कोई जन विरोधी कानून अगर बनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे अपास्त किया जाना एक राहत की बात है। परन्तु फिर प्रश्न तो यह उपस्थित होता ही है कि अगर सत्ता मद में चुनी हुयी सरकार लोकहित के विपरीत जा सकती है तो वह कौनसा अंकुश है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को मनमाना निर्णय करने से रोक सकता है। निर्वाचित सरकार को तो फिर भी यह भय है कि उसके अनुचित फैसले का विरोध अनेक प्रकार से किया जाकर उसे रोका जा सकता है, संसद में अगर विपक्ष उसे हरा न सके तो भी उसकी कलई तो जनता के समक्ष खोल सकता है और सबसे बड़ी बात कि एक निर्धारित समय के पश्चात् उसे फिर जनता के पास ही जनादेश लेने जाना है। अगर उसकी नीतियाँ लोक विरोधी हैं तो जनता उसे सबक सिखा सकती है। अर्थात् दूसरे शब्दों में कहा जाय तो सरकार की सत्ता लोक इच्छा तक ही है लोक विरोधी सरकार अपना अस्तित्व खो देगी। परन्तु न्यायालय की बात करें तो उसके निर्णय की आप आलोचना भी नहीं कर सकते वरना न्यायालय की अवमानना के अपराध में आप लटक सकते हैं। एक बात और विचारणीय है कि कुछ भी हो जनमत के मत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन सरकार करती है न कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकतांत्रिक पद्धति में प्रजा कि इच्छा सरकार में ही प्रतिफलित होती है। उदाहरण के रूप में कोई सरकार जिस बात की घोषणा करके चुनाव जीत कर आती है और उस संकल्प को पूरा करती है तो चाहे आप उससे सहमत हों या न हों वह जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य करती हुयी मानी जायेगी। और स्पष्ट करें तो वर्त्तमान सरकार अपने इस मन्तव्य को स्पष्ट रूप से सामने रखकर के चुनाव में गयी थी कि वे सत्ता में आये तो धारा ३७० को हटा देंगे। सरकार ने यह जब किया है तो माना जाएगा कि उसने जन भावना को साकार किया है अतः उसका कार्य लोकतांत्रिक है। किसी भी लोकतांत्रिक

पद्धति में जनता की इच्छा सर्वोपरि है अतः उसके द्वारा चुनी हुयी सरकार का वैसा करना अनुचित नहीं कहा जा सकता। हम इस अवधारणा से पूर्णतः सहमत हैं कि लोकतंत्र में तीनों अंग अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र रहें इसके लिए जो Checks and balance बनाए गए हैं वे समुचित व आवश्यक हैं। मनु भी लिखते हैं-

'एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए किन्तु राजा जो सभापति तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहै।' (सत्यार्थ प्रकाश षष्ठम समुल्लास)

परन्तु इन सब से ऊपर न्यायपालिका है, ऐसा मानने वाले सम्भवतः सही नहीं हैं, क्योंकि अगर यह माना जाय कि राजनेता अथवा सरकार के घटक तो मानवीय कमजोरियों से ग्रस्त हैं अतः स्वार्थ, पक्षपातसहितता, लोभ, मोह, क्रोध से उनका दोषयुक्त होना स्वाभाविक है तो यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आध्यात्मिक साधना के चरम को प्राप्त हैं कि इन विकारों से मुक्त हैं? वे कल तक जिन अपराधियों को बचाने का कार्य करते थे आज उनके हिताहित के सम्बन्ध में पूर्णतः उदासीन हो गए हैं, उनके सामने चाहे जो वकील खड़ा हो वे पूर्ण वकील के रूप में निष्पक्ष हैं, उनके व्यक्तिगत राजनीतिक विचार कुछ भी हों उनका प्रभाव उनके निर्णयों पर लेशमात्र भी नहीं पड़ता है इत्यादि-इत्यादि। यह सब मानना अत्यन्त कठिन हो जाता है। क्या कारण है कि घटना विशेष पर उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान ले लेता है जबकि वैसी ही अन्य घटनाओं के बारे में वह सोचता है कि यह उसका कार्य नहीं। ऐसे अनेक प्रकरण सामने आते हैं जब शंकाएँ उपस्थित होती हैं। हम नीयत पर बिलकुल प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, पर यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मानवीय कमजोरियाँ हैं तो वे किसी में भी हो सकती हैं चाहे सरकार हो या न्यायालय।

यहाँ यह भी निवेदन कर दूँ कि इस आलेख को पढ़ते समय पाठक ये ध्यान में रखें कि न तो हम विधि विशेषज्ञ हैं और न ही माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा भारत की न्यायिक व्यवस्था पर शंका रखते हैं फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मन मस्तिष्क में उठती रहती हैं और यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या भारत का प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय से एक जैसा उपचार प्राप्त कर सकता है? सम्भवतः नहीं।

अभी अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने तीस्ता सीतलवाड़ नाम की एक महिला के जमानत के आवेदन पर अभूतपूर्व कार्य किया। न केवल इस विषय को इतना तात्कालिक माना कि शनिवार अवकाश के दिन में सुना बल्कि दो दो बार सुना। यह हमें बड़ा आश्चर्यजनक लगा और कही मन में एक प्रश्न भी उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि Equality before Law का जो नारा हमारे देश में दिया जाता है वह केवल नारा मात्र है। तीस्ता सीतलवाड़ पर सबूतों से छेड़छाड़ का गम्भीर आरोप है। गुजरात उच्च न्यायालय ने तीस्ता की जमानत रद्द करते हुए उसे तुरन्त समर्पण करने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि 'सीतलवाड़ को जमानत पर रिहा करने से यह गलत संकेत जाएगा कि एक लोकतांत्रिक देश में सब कुछ इतना उदार है कि भले ही कोई व्यक्ति तत्कालीन सरकार को सत्ता से हटाने और तत्कालीन मुख्यमंत्री की छवि को बदनाम करने के प्रयास करने की हद तक चला जाए और उसका दोष माफ भी किया जा सकता है।' उच्च न्यायालय ने कहा, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

परन्तु उच्चतम न्यायालय की सोच सम्भवतः इसके विपरीत थी। तीस्ता उच्चतम न्यायालय पहुँच गयी। दिन था शनिवार। अवकाश था फिर भी मामले को इतना अर्जेंट समझा गया कि शाम को कोर्ट खुली और मामले को दो जजों की बेंच ने सुना। पर न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति प्रशान्त कुमार मिश्रा की पीठ में दोनों जज की राय

अलग-अलग रही। ऐसे में पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के सामने रखने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़ के पास भेज दिया। इसको इतना अर्जेंट माना गया कि उसी दिन तीन जजों की बेंच को सौंप दिया गया, और तब इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। बेंच में उनके अलावा जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता भी शामिल रहे। तीन जजों की यह बेंच गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर देती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस देश में लाखों निरपराध जमानत की आशा में वर्षों से जेलों में सड़ रहे हैं वहाँ एक मामले में इस प्रकार की अभूतपूर्व तत्परता व सक्रियता को क्या समझा जाय? स्पष्ट है सीतलवाड़ को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है, परन्तु क्यों? यह तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ही बता सकते हैं। परन्तु न्याय के समक्ष सब समान हैं, इस अवधारणा पर गम्भीर शंका उत्पन्न होती है।

अगर हम देखें तो पूर्व में भी कतिपय अवसर ऐसे आये हैं जब उच्चतम न्यायालय रात्रि में भी खुला है। आश्चर्य यह है कि इनमें से अधिकांश अवसर दुर्दांत अपराधियों के मामलों में दृश्यमान होते हैं। याकूब मेनन आपको ध्यान होगा। १९९३ के मुम्बई बम ब्लास्ट केस का मास्टर माइण्ड। इस देश में विधि द्वारा स्थापित न्याय के सभी अवसर उसने प्राप्त कर लिए थे, जो कि किसी भी पैमाने पर पर्याप्त हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका भी खारिज हो चुकी थी। अगले दिन फांसी होनी थी। बड़े-बड़े १२ वकील जिनकी एक पेशी की कीमत लाखों रुपये होती है (आम व्यक्ति तो इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच भी नहीं सकता) उनकी फौज सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती है और न्यायालय रात्रि में खुलता भी है। किसी लेखक ने उस समय लिखा था यह वकील किसे न्याय दिलाना चाह रहे थे यह समझ से परे है। हालांकि, उनका तर्क था कि वह भारतीय संविधान से मिली हर सुविधा याकूब को दिलाना चाहते थे, लेकिन क्या किसी गरीब-निरीह के लिए भी संविधान की इन छूटों को दिलाने का ध्यान रखा जाता है? यह बात अलग है कि मेमन के मामले में और इसी प्रकार के एक अन्य मामले में जिसकी भी सुनवायी रात्रि में की गयी, (निर्भया प्रकरण) में भी प्रार्थी को कोई छूट नहीं मिली। परन्तु निठारी जैसे नृशंस काण्ड के अभियुक्त सुरिन्दर कोहली को फांसी की सजा होने कुछ घण्टे पूर्व रात्रि में सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा स्थगित की। अब इसको विद्वान् लोग अपने हिसाब से अच्छा या बुरा निर्णय कह सकते हैं परन्तु यह प्रश्न अपनी जगह स्थिर है कि इस अति न्यायिक सक्रियता का आधार क्या था। क्या आम लोगों को यह अवसर मिल सकता है? जो तीस्ता सीतलवाड़ व अन्य को मिला। हमें तो इसका उत्तर नकारात्मक ही प्रतीत होता है। क्योंकि त्वरित गति की बात तो छोड़िये सुप्रीम कोर्ट पहुँच पाना ही हर एक के वश की बात नहीं है।

परन्तु यहीं एक गम्भीर प्रश्न उठता है कि अनेक ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट तक तथाकथित अभियुक्त पहुँच पाता तो शायद उसका भाग्य बदल जाता। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे मामलों की लम्बी सूची है जिनमें निचली अदालतों यहाँ तक कि उच्च न्यायालय से भी सजा प्राप्त अपराधी को सुप्रीम कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। यह बड़ी विचित्र बात है एक अदालत का निर्णय अनेकों बार ऊपरी अदालत द्वारा बदल दिया जाता है जबकि फाइल एक होती है, कोई नया साक्ष्य उत्पन्न नहीं होता है फिर भी व्याख्याएँ न्यायाधीश दर न्यायाधीश बदल जातीं हैं। और सभी न्यायाधीश learned ही होते हैं। ऐसे उदाहरण तो सहस्रों हैं परन्तु हम एक उदाहरण दे रहे हैं जो निश्चित ही ऐसे अन्य उदाहरणों में भी अति विशिष्ठ है।

जो सर्वोच्च न्यायालय अपने को सर्वसमर्थ और सदैव सही मानता है, क्या वास्तव में ऐसा है? हम केवल एक मामला यहाँ उद्धृत करना चाहेंगे। जिसके सन्दर्भ में अनेक प्रश्नवाचक चिह्न खड़े होते हैं और यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या न्यायालय से व्यक्ति को न्याय मिल पाता है?

करीब २० वर्ष पहले ५ जून २००३ नासिक में एक ही परिवार के ५ जनों को डकैती के दौरान मार दिया गया। ६ जनों द्वारा पाँच सदस्यों की हत्या कर दी गई और एक नाबालिग सहित दो महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। नासिक कोर्ट ने इन सभी को फांसी की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने २२ मार्च २००७, को इस सजा को तीन

अभियुक्तों के सम्बन्ध में बरकरार रखा परन्तु तीन अभियुक्तों कि सजा को आजीवन कैद में परिवर्तित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला २००६ में आया सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए सभी ६ अभियुक्तों को फांसी की सजा सुना दी अर्थात् हाई कोर्ट से जिन तीन जनों को फांसी नहीं दी गई थी उनको भी फांसी की सजा ३० अप्रैल २००६ में उच्चतम न्यायालय ने दे दी।

"The murderers were not only cruel, brutal but were diabolic" कृपया ध्यान दें कि यह उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी थी।

इस आदेश के विरुद्ध अभियुक्तों द्वारा समीक्षा याचिका दायर की गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया।

परन्तु ४ वर्ष पश्चात् पुनः समीक्षा याचिका प्रस्तुत किए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने उसको विचार के लिए स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार २०१६ में उन तीन व्यक्तियों की समीक्षा याचिका को भी जो कि पूर्व में २०१० में अस्वीकार कर दी गई थी, खारिज कर दी गई थी उसको भी उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सभी छः अभियुक्तों की समीक्षा याचिका अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष थी।

अब सुप्रीम कोर्ट ने न केवल पूर्व सभी आदेशों को पलटते हुए इन छः अभियुक्तों को न केवल दोषमुक्त कर दिया बल्कि राज्य को इन्हें मुआवजा देने के लिए आदेश दिया। ये सब क्या है? कौन सही है कौन गलत? सिर धुनते रहिए। अब यहाँ प्रश्न तो बहुत से उठते हैं पर एक सीधा सा प्रश्न यह है कि वे अनेक साधनहीन लोग जो एक बार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते वे बार-बार सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएँ? वे अगर बार-बार सुप्रीम कोर्ट ना जाएँ तो उन्हें उक्त प्रकार का रिलीफ मिल पाएगा क्या? दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अगर ये उक्त आरोपी बार-बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते तो फांसी चढ़ गए होते। बताइए जिस सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध को अत्यन्त क्रूर मानते हुए सभी को फांसी की सजा सुना दी थी, उनकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी, वे बार-बार प्रयत्न करते रहे और अन्ततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से दोषमुक्त हो गए।

निश्चित रूप से सारे मामले में कई तकनीकी बिन्दु होंगे, कई विधिक बिन्दु होंगे, परन्तु उस सब के उपरान्त भी ऐसे प्रकरणों के सामने आने पर एक साधारण व्यक्ति के मन में क्या विचार उत्पन्न हो सकते हैं? मामले को क्रूरतम बताने वाले भी उच्चतम न्यायालय के जज थे और दोषमुक्त करने वाले भी वही थे। कौन सही था, यह कौन बता सकता है? अतः यही कहा जा सकता है कि पूर्ण कोई नहीं है अगर गलत सरकार हो सकती है अगर गलत विधायिका हो सकती है तो गलत सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। अतः सुप्रीम कोर्ट के बारे में यह मानना कि जिस प्रकार से एक सन्त और सर्वज्ञ व्यक्ति या कहें कि सर्वज्ञ प्रकार का व्यक्ति राग-द्वेष-मोह इत्यादि सभी बातों से ऊपर उठकर के न्याय प्रदान कर सकता है वैसा ही सुप्रीम कोर्ट करता है, सब कुछ का विश्लेषण करने के पश्चात् ऐसा लगता तो नहीं है, परन्तु हाँ checks and balance का जो सिद्धान्त है वह निश्चित रूप से स्थापित रहना चाहिए ताकि सत्ता के मद में जनतांत्रिक व्यवस्था का कोई भी विभाग मनमानी न कर सके और अधिकतम लोक कल्याण की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जा सके।

अतः जहाँ तक हो सके सभी संस्थाएँ अपने-अपने कार्य को जन कल्याण की भावना से स्वतन्त्र रूप से करती रहें, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। यहाँ एक बात और कह दें, यह जानते हुए भी कि आप हमसे सहमत नहीं भी हो सकते हैं कि लोकतंत्र में सर्वोपरि क्या है? हमारा उत्तर होगा लोकहित। प्रायः कहा यह जाता है कि संविधान, क्योंकि केशवानन्द भारती के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान को सर्वोपरि मानते हुए, संविधान के मूलभूत ढाँचे को छेड़ा नहीं जा सकता यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था।

यहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय की बात जान लें- स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने 'शंकरी प्रसाद बनाम

भारत सरकार वाद (१९५१) और 'सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार वाद (१९६५) में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की। अर्थात् संसद सर्वोच्च है यह माना था परन्तु केशवानन्द में गोलकनाथ के ही समान मूलभूत ढाँचे का सिद्धान्त स्थापित कर दिया, और इसी के साथ उच्चतम न्यायालय संविधान का Custodian है यह भी स्थापित हो गया।

परन्तु हमारा मानना है कि लोकतंत्र में लोक भावना और लोक कल्याण सर्वप्रमुख हैं। आखिर संविधान बनाने वाली संविधान सभा भी तो लोक भावना का ही प्रतिनिधित्व करती थी। संविधान सभा के वे सभी सदस्य लोगों द्वारा ही निर्वाचित थे और उन्होंने लोक कल्याण की भावना से संविधान बनाया। आज भी संसद निर्वाचित हुयी है, उसके द्वारा उठाया कोई भी कदम तब तक सही है जब तक वह अन्याय या पक्षपात से लोक भावना का ध्यान न रखते हुए दल विशेष के हित साधन हेतु बनाया गया हो। तो संविधान नहीं लोकहित वह कसौटी होनी चाहिए जिस पर सरकार का कोई भी कार्य परखा जाना चाहिए।

ऋग्वेद में परमपिता परमात्मा कहते हैं कि-

तव श्रिये मरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्ते जनिम चारु चित्रम्।
पदं यद्विष्णोरुपमं निधायि तेन पासि गुह्यं नाम गोनाम्। - ऋग्वेद ४/२/२

अर्थात् हे राजन्! इसी से आपके जन्म का साफल्य होवे, जिससे आप ईश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके प्रजाओं का पालन करो। स्पष्ट रूप से शासक का सर्वोपरि कर्तव्य पक्षपात रहितता के साथ प्रजा पालन है। अतः यही सर्वोच्च है। शासक जो भी करे उसके केन्द्र में लोकहित होना चाहिए।

अब रही Doctrine of basic structure की बात सो ध्यान में रखें कि केशवानन्द मामले में १३ सदस्यों की पीठ ने यह निर्णय ७-६ के बहुमत से दिया था। इसका अर्थ यह है कि ७ न्यायाधीशों का मानना था कि संविधान के मूल स्वरूप को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता, परन्तु ६ न्यायाधीशों की इस मत से सहमति नहीं थी। केवल एक मत का फासला था।

हमारा अपना विचार है अन्य विभागों की भाँति न्यायपालिका भी गलती करती है वा गलती करती प्रतीत होती है। जैसा श्री राहुल गाँधी के मामले में दिखता है।

अभी राहुल गाँधी के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चर्चित रहा है। राहुल द्वारा पूर्णेश मोदी द्वारा लाये गए मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के दो वर्ष सजा के निर्णय को यथावत् रखा और सजा के औचित्य के बारे में कहा कि गाँधी आदतन अपराधी हैं। परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर कि निचली अदालत ने यह नहीं लिखा है कि इस मामले में अधिकतम निर्धारित सजा दो वर्ष क्यों दी, सजा पर रोक लगा दी। यद्यपि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि वे आदतन अपराधी हैं। यह तो उच्चतम न्यायालय भी जानता है कि राफेल मामले में भी राहुल गलत थे और गाँधी को माफी माँगनी पड़ी थी। खैर यह उच्चतम न्यायालय का अपना अधिकार क्षेत्र है इसमें कोई दो राय नहीं। पर यहाँ भी कुछ बिन्दु आश्चर्य जनक हैं। कोर्ट ने राहुल गाँधी के विचाराधीन कथन को उचित नहीं माना है अर्थात् राहुल ने अपराध तो कारित किया है, यह इस बात से और साबित हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सार्वजनिक वक्तव्य देते समय संयम बरतने की सलाह दी, पर माननीय न्यायालय यह भूल गया कि राहुल ऐसी सलाह को ध्यान में रखते जो कि उन्हें राफेल के समय भी उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी थी तो यह नौबत ही नहीं आती। दूसरे ऐसा सम्भवतः कम ही होता है कि दोष पर विचार करते समय दोष मुक्ति के लिए परिणाम पर विचार किया जाय। परन्तु इस मामले में ऐसा हुआ। कोर्ट ने कहा कि इस सजा को देने से एक लोकसभा क्षेत्र अपने प्रतिनिधि से और अपने प्रतिनिधित्व से वंचित हो गया जो समीचीन नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ कि आगे जो भी विधायक अथवा सांसद अपराध कारित करेंगे उनको यदि कोई अवसर आया तो सजा देते समय कोर्ट यह विचार करेगी कि उनको दो वर्ष से अधिक की सजा देने से उनका क्षेत्र प्रतिनिधित्व से वंचित हो जाएगा, अतः उन्हें कम सजा दी जाय। ऐसा होगा तो आश्चर्य ही होगा। फिर तो कोई अपराधी यह भी तर्क देगा कि उसे सजा दी गयी तो उसके परिवार का भरण-पोषण

करने वाला कोई नहीं रहेगा और उसका परिवार भरण-पोषण के अधिकार से वंचित हो जाएगा, अतः उसे सजा न दी जाय। यह भी भला कोई तर्क हुआ? अतः लोकतंत्र में सर्वोपरि यही है कि सभी संस्थायें अपना-अपना कार्य करें, लोकहित सर्वोपरि है यह ध्यान रखें। राष्ट्र की आन-बान-शान को कोई आँच न आये यही सबका कर्तव्य है।

- अशोक आर्य
सत्यार्थ प्रकाश भवन, नवलखा महल, उदयपुर
चलभाष- ०९३१४२३५१०१, ०८००५८०८४८५

आजीवन सत्यार्थमित्र

सत्यार्थमित्र योजना में प्रतिवर्ष 5100 रुपए देने के क्रम में कुछ बन्धु प्रतिवर्ष रिन्यूअल कराने के झंझट से विरत रहना चाहते हैं, अतः न्यास ने अपनी पिछली बैठक में यह निश्चय किया है कि आजीवन सत्यार्थमित्र के रूप में जो भाई बहिन रु. 51000 एकमुश्त जमा करा दें तो उनका यह सहयोग आजीवन सत्यार्थमित्र के रूप में मान्य होगा। समर्थ आर्यजन इस दिशा में सकारात्मक सहयोग करने का श्रम करें।

विश्व भर से आने वाले पर्यटकों के नवलखा महल, उदयपुर के बारे में विचार

नवलखा महल सांस्कृतिक केन्द्र के सारे प्रकल्पों को आदरणीय अशोक आर्य जी ने बहुत ही सुन्दर ढंग से हमें बताया। यहाँ की विशेष कर १६ संस्कारों की झाकियों के विषय में समझाया। सभी जगह घूम-घूम कर हमें सारे स्थान के विषय में बताया और फिर हमें स्वतंत्रता संग्राम एवं महर्षि दयानन्द के विषय में एक चलचित्र भी दखाएँ। बहुत ही उत्कृष्ट कार्य यह न्यास कर रहा है। हर व्यक्ति को यहाँ आकर इस स्थान को एक बार अवश्य देखना चाहिए। साथ ही यहाँ के गाइड की भी भूरी-भूरी प्रशंसा करूँगा उन्होंने पूरी प्रदर्शनी (आर्यावर्त्त चित्रदीर्घा) को अच्छी तरह से घूम-घूम कर समझाया। मैं यहाँ सभी को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ।

- अशोक गोयल, सोनीपत

अति सुन्दर प्रयास जिसको अमूर्त रूप से मूर्त रूप में सरकार किया गया है। आदरणीय अशोक जी को एवं उनकी सम्पूर्ण टीम को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं अगले अध्याय को क्रियान्वित करने के लिए शुभकामनाएँ। स्वामी जी के दिव्यदृष्टी व उनके मन्तव्यों को यहाँ साकार किया गया है। नवलखा महल सांस्कृतिक कला केन्द्र का यह नया स्वरूप अत्यन्त प्रेरणादायक एवं अभूतपूर्व है। आगामी पीढ़ी के लिए सन्देश दायक है। जो कि स्वामी जी के कार्यों को क्रियान्वित रूप देकर अमर करने के लिए मार्ग प्रदर्शन है। रिसर्च वर्क के लिए महर्षि का सजीव दिव्य-दर्शन चित्रित है जो अत्यन्त दर्शनीय है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

- नीरज-संध्या आर्य, नई दिल्ली

हैदराबाद मुक्ति संग्राम
एक विहंगावलोकन

भारत को १५ अगस्त १९४७ को स्वतंत्रता मिली, यह सभी जानते हैं। लेकिन भारत का ही एक भू-भाग ऐसा था जिसे इसके १३ महीनों बाद स्वतंत्रता मिली, यह भारत के सभी लोगों को विशेषकर नई पीढ़ी को पता नहीं होगा। सुदूर दक्षिण में रियासते निजाम ही वह रियासत थी, जिसके शासक अपने हैदराबाद राज्य को खुदमुख्तार सल्तनत यानी एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाये रखना चाहते थे और इसके लिये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र तक भी दौड़ लगाई थी। एक दूसरा विचार उनका यह भी था कि पूर्व और पश्चिम की तरह पाकिस्तान का एक भाग दक्षिण में स्थापित हो, जिन्ना से इस बाबत् उनका सम्पर्क बना हुआ था। लेकिन अन्ततः सरदार पटेल की कूटनीति के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े।

हैदराबाद भारत की सभी ५६५ रियासतों में क्षेत्रफल में, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी। निजाम की गिनती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अमीर लोगों में होती थी। मीर उस्मान अली खान निजाम उल मुल्क आसफजाही राजवंश के सातवें व अन्तिम शासक थे। ६ अप्रैल १८८६ को जन्मे २४ फरवरी १९६७ को मृत्यु हुई। १८ सितम्बर १९११ को इनका राजतिलक हुआ था। शासन १७ सितम्बर १९४८ तक चला। वे एक कुशल प्रशासक थे।

अपने पूर्वजों की भाँति शासन के शुरुआती वर्षों में उन्होंने जनकल्याणकारी धर्मनिरपेक्ष राजा के रूप में अपनी हिन्दू बहुल जनता का दिल जीता। हैदराबाद का हाईकोर्ट भवन, उस्मानिया विश्वविद्यालय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने इनके द्वारा ही बनाये गये हैं। निजाम सागर, गंडीपेट आदि बाँधों द्वारा सिंचाई और पेय जल की व्यवस्था भी शासक द्वारा की गई। मन्दिरों को सरकारी सहायता और सरकारी जागीरें अदा हुईं थीं।

शिक्षा के क्षेत्र में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना कर उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान की। उर्दू भाषा से इतना प्रेम था कि सारे डिग्री कोर्स एम.ए., पीएच.डी. ही नहीं बल्कि एलएल.बी., एलएल.एम., एम.बी.बी.एस., एम. एस. तक की शिक्षा उर्दू माध्यम से दी जा रही थी। अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कर सभी संकायों की पाठ्यपुस्तकें उर्दू में उपलब्ध कराईं।

शासन की सब कार्यवाही, प्रिवी काउंसिल के कामकाज, गजट, साइटेशन्स, आदि तक उर्दू में ही होते थे।

इतने अमीर होने के बावजूद निजाम अपने सादे रहन सहन के लिए विख्यात् थे। उनकी मातृभक्ति भी प्रसिद्ध थी, प्रतिदिन शाम में पुरानी फोर्ड कार में अपनी माँ की

कबर पर फूल चढ़ाने नियमित रूप से जाते हुए सादी शेरवानी, पाजामा, काली टोपी, जूते पहने जनता उन्हें देखा करती थी।

१९२७ में मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन का गठन निजाम की सलाह पर नवाब महमूद नवाज खान ने किया, जो कट्टरता के पक्षधर थे। स्थापना से लेकर १९४८ तक यह संगठन अलग मुस्लिम राष्ट्र की, शरिया कानून सब पर लागू करने की वकालत करता रहा। बाद में नवाब बहादुर यार जंग और कासिम रिजवी जैसे नेताओं के साथ इस संस्था की कट्टरता बढ़ती गई। कासिम रिजवी का प्रभाव निजाम पर दिनों दिन बढ़ता गया। रिजवी ने रजाकार सेना का गठन कर हिन्दुओं पर

जुल्म ढ़ाने शुरु किये। रजाकार शासन द्वारा पोषित आतंकवादी थे, जिन्हें हिन्दुओं पर जुल्म ढाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी।

इस प्रकार रियासत का माहौल बिगड़ने लगा। जहाँ सभी धर्मावलम्बी आपस में प्रेम से भाईचारे से रहा करते थे, वहाँ शासक कौम और शासित कौम की भावनायें जगाकर धर्म परिवर्तन के लिये मजबूर किया जाने लगा। हिन्दुओं के धार्मिक आयोजन, त्यौहार, जुलूस, मन्दिरों के निर्माण, मरम्मत, उद्घाटन, नई मूर्ति की स्थापना आदि के लिए शासन की पूर्व आज्ञा अनिवार्य कर दी गई। हिन्दू छात्रों को धार्मिक शिक्षा मुसलमान शिक्षकों द्वारा उर्दू माध्यम से देने के फरमान जारी हुए। वन्देमातरम् गीत पर रोक लग गई। मस्जिद के आसपास के मन्दिरों, मकानों में बाजा ही नहीं अपितु ग्रामोफोन, रेडियो, रेकार्ड बजाने की भी मनाही कर दी गई। निजाम स्तुति का गीत सभी स्कूलों में प्रतिदिन गाना अनिवार्य कर दिया गया। हिन्दी पर पाबंदी लगी इस डर से कि शेष भारत की तरह स्वतंत्रता की हवा न चल पड़े। रियासत की जनता की अन्य भाषाओं तेलुगु, कन्नड़ व मराठी को भी हिन्दुओं की मान कर उनसे भी द्वेष किया जाने लगा।

रियासत का हिंदू समाज जनसंख्या की दृष्टि से ८८% होकर भी अशिक्षित, असंगठित, सामाजिक पिछड़ेपन, अंधश्रद्धा, अस्पृश्यता, आदि कुरीतियों से ग्रस्त था। उनकी वेशभूषा, व्यवहार आदि पर शासकों की छाप स्पष्ट थी। शासन की जन विरोधी नीतियों तले साधारण जन पिसने लगे, हताश निराश लोगों को सहानुभूति देने वाला भी कोई नहीं दिखाई देता था। ऐसे में उन्हें आर्यसमाज में आशा की एक किरण नजर आई। बाद में आर्यसमाज का यह वट वृक्ष रियासत में ऐसा फला फूला कि यदि १९४८ में स्वतंत्रता के बाद आर्यसमाज ने राजनीति से दूर रहने का संकल्प नहीं लिया होता, तो निश्चित रूप से पहली लोकतांत्रिक सरकार आर्यसमाज की ही बनती।

१८७५ में महर्षि दयानन्द द्वारा मुम्बई में स्थापित आर्यसमाज सम्पूर्ण भारत में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में एक आन्दोलन के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था। कांग्रेस के इतिहासकार डॉ. पट्टाभि सीतारमैया ने भी माना है कि भारत के स्वतंत्रता आन्दोलनकारियों के सर्वेक्षण के अनुसार ८०% स्वतंत्रता सेनानी आर्यसमाज के माध्यम से आए थे।

हैदराबाद रियासत में १८८० में पहला आर्यसमाज धारूर ग्राम में आरम्भ हुआ। १८९२ में हैदराबाद के सुलतान बाजार इलाके में शुरू किया गया। प्रसिद्ध वकील व देशभक्त पण्डित केशवराव कोरटकर, जो बाद में हैदराबाद हाईकोर्ट के जज मनोनीत हुए, अनेक वर्षों तक इस आर्यसमाज के प्रधान रहे। उन्होंने राज्यभर में समाज की शाखाओं के साथ साथ अनेक स्कूल व लाइब्रेरियाँ खोलने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके पुत्र पण्डित विनायकराव विद्यालंकार भी यथासमय उनके साथ आ जुड़े। इनके अलावा चन्दूलाल जी, सूर्यप्रताप जी, चन्द्रपाल जी, गजानन्द जी, पं. दत्तात्रेय प्रसाद एडवोकेट आदि महत्वपूर्ण हस्तियाँ भी समाज में सक्रिय थीं। नई पीढ़ी के भ्रातृद्वय हाईकोर्ट के वकील भाई बंसीलाल व भाई श्यामलाल ने, जो मेरे नानाजी थे, सारे हैदराबाद राज्य में आर्यसमाज के प्रचार की धूम मचा दी थी। उनकी असाधारण योग्यता, वीरता, साहस और

सत्यनिष्ठा की सभी प्रशंसा करते थे।

उत्तर भारत से प्रसिद्ध उपदेशकों को समाज के वार्षिकोत्सवों पर आमंत्रित किया जाता था, ऐसे समय पर अपने सारे दुःख दर्द भुलाकर जन समुद्र उमड़ पड़ता था। अकसर ऐन वक्त पर निजाम शासन की ओर से प्रतिबन्ध जारी कर दिए जाते थे। जुलूसों पर रोक लग जाती थी। पण्डित केशवराव कोरटकर, जो निजाम शासन में हाईकोर्ट जज थे, उनकी अन्तिम यात्रा में

कोतवाल ने अचानक फरमान निकाल दिया कि केवल शोक प्रस्ताव पारित होगा, कोई नारे या भाषण नहीं होंगे। ऐसे अवसरों पर जन आक्रोश व असंतोष अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता, भीड़ को सम्भालना बहुत मुश्किल हो जाता था।

राज्य में गुलबर्गा, हल्लीखेड़, उदगीर की आर्यसमाजें भाई बंसीलाल व भाई श्यामलाल के नेतृत्व में बहुत सक्रिय हो चुकीं थीं। उनके आसपास गाँवों में भी आर्यसमाजों का जाल सा बिछ गया था। दोनों भाई सिद्धान्तों के बारे में कट्टर थे और जो भी उपदेश देते, स्वयं उस पर आचरण करते थे। उनकी कथनी करनी में कोई अन्तर नहीं होता था। उनके धर्म प्रचार ने लोगों को दीवाना बना दिया था। सबसे प्रेम, ईश्वर भक्ति, वेद वाणी की सीख सबको देते हुए दोनों भाई चलते फिरते आर्यसमाज बन चुके थे। सभी ग्राम वासी उनके कहने पर जान भी कुर्बान करने को तैयार थे क्योंकि भ्रातृद्वय धर्म, समाज और राष्ट्र के लिये तन-मन-धन से समर्पित थे। उन्होंने धर्म का सच्चा अर्थ जनता को समझाया कि उत्तम गुणों का धारण ही धर्म है। पाखण्ड छोड़ो, व्यसन छोड़ो, जातपात छोड़ो, ऊँच-नीच छोड़ो, दहेज, बाल-विवाह का विरोध, स्त्री-पुरुष समानता, आपस में एकता बढ़ाओ, विरोध बढ़ाने वाले विचारों, भावनाओं को दूर करो, श्रेष्ठ मानव जाति का निर्माण करो। ऐसे उपदेशों पर युवक वर्ग बिछा जाता था। आर्यसमाज के झण्डे तले चिटगोपा, दुबलगुंडी, हुमनाबाद, कल्याणी, भालकी, माणिकनगर, जैसे ग्रामों से लेकर राजधानी हैदराबाद तक युवा संगठन तैयार होने लगे। युवाओं के लिये समाज भवन के साथ-साथ व्यायाम शालाओं की स्थापना कर शारीरिक सुदृढ़ता का पाठ पढ़ाया। वाचनालय, पुस्तकालयों द्वारा बाल, तरुण, वृद्ध सभी में ज्ञान प्रसारण किया और उन्हें सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित किया। आर्यसमाज के उत्सवों में विद्वानों को सुनने दूर-दूर के गाँवों से हजारों लोग जमा होते थे। बहुसंख्य हिन्दुओं में चैतन्य का संचार होने लगा। साथ ही दोनों भाइयों ने अल्पसंख्यकों का आदर भी प्राप्त किया। खुद पुलिसवाले भी विविध धर्मियों के बीच शान्ति स्थापित करने इनकी सहायता लेने लगे।

कई प्रगतिशील कार्यक्रमों का जैसे सामूहिक प्रीतिभोज, अस्पृश्यता आदि पुरातनपन्थी हिन्दुओं द्वारा भी कड़ा विरोध होता था। और इन विरोधियों में इन भाइयों के अपने रिश्तेदार भी शामिल रहते थे। जैसे बंसीलाल जी की शादी में दुल्हन के अपना जनेऊ खुद पहनने पर ससुराल वालों से झगड़ा हुआ और दोनों तरफ से बन्दूकें निकल आईं। हिन्दुओं में आज भी पत्नी का जनेऊ पति ही पहनता है। यह एक नमूना है कि आर्यसमाज तीन चार पीढ़ियों पहले भी कितना प्रगतिशील हुआ करता था। अपनी पत्नी विद्यावती देवी का भरपूर साथ मिला, जो महिलाओं को उन्नति की राह पर चलना सिखाती थीं। पति बंसीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् भी मेरी नानी ने नाना जी से सीखे वैदिक सिद्धान्तों की ज्योत जलाए रखी। अकेली विधवा जानकर रिश्तेदारों के दबाव में न आकर अपनी सातों सन्तानों का अन्तर्जातीय विवाह कर उदाहरण प्रस्तुत किया। नानाजी के अंतिम शब्दों को उनकी अंतिम इच्छा मानकर परिवार में संस्कृत संभाषण को बढ़ावा दिया, बच्चों को पूरा-पूरा आर्य बनाया। अन्तिम श्वांस तक आर्यसमाज का प्रचार करती रहीं। **क्रमशः .....**

– अपर्णा शुक्ला
२०५ अथ श्री सिनर्जी पाटील नगर, पुणे (महाराष्ट्र)
चलभाष- ९३२२२९५९३२

क्या कर्णावती ने हूँमायु को भेजी राखी?

हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि युद्ध की विपत्ति के दौरान मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूँ को पत्र और राखी भेजी थी, जिसके बाद वो तुरन्त उनकी मदद के लिए निकल पड़ा था। हालाँकि, मुगलों को महान् बनाने के लिए जिस तरह की तिकड़मों का जाल बुना गया है, उसमें इस कहानी पर विश्वास होना मुश्किल है। क्या आपको पता है कि उस समय के इतिहास में ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं मिलता?

सबसे पहले बात करते हैं कि प्रचलित कहानी क्या है और कहाँ से आई। कहानी कुछ यूँ है कि गुजरात पर शासन कर रहे कुतुबुद्दीन बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इसी दौरान महारानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूँ को पत्र भेजा। साथ में उन्होंने एक राखी भी भेजी और मदद के लिए गुहार लगाई। इसके बाद हुमायूँ तुरन्त उनकी मदद के लिए निकल पड़ा था। इस घटना को रक्षाबन्धन से भी जोड़ दिया गया।

अब आपको बताते हैं कि ये कहानी आई कहाँ से? दरअसल, १९वीं शताब्दी में मेवाड़ की अदालत में कर्नल जेम्स टॉड नाम का एक अंग्रेज था। उसने ही 'Annals and Antiquities of Rajasthan' नाम की एक पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक में इस कहानी का जिक्र था। 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' के जेम्स टॉड ने ही सन् १५३५ की इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा था कि राखी पाकर हुमायूँ तुरन्त मदद के लिए निकल पड़ा था।

टॉड लिखते हैं कि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो या फिर खतरा हो, तभी राखी भेजी जाती थी। इसके बाद राखी प्राप्त करने वाला 'राखीबंद भाई' बन जाता था। उन्होंने लिखा था, ''अपनी उस बहन के लिए वो राखीबंद भाई अपने जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। बदले में उसकी अपनी 'बहन' की मुस्कराहट मिल सकती है, जिसकी उसने रक्षा की हो।'' टॉड लिखते हैं कि ब्रेसलेट पाकर हुमायूँ काफी खुश हुआ था।

उन्होंने लिखा है कि हुमायूँ ने खुद को एक 'सच्चा शूरवीर' साबित किया और पश्चिम बंगाल में अपने आक्रमण को छोड़ कर चित्तौड़ को बचाने के लिए, राणा सांगा की विधवा और बच्चों की रक्षा के लिए निकल पड़ा। हालाँकि, हुमायूँ के पहुँचने से पहले ही चित्तौड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो चुका था और रानी ने कई महिलाओं समेत जौहर कर लिया था। टॉड लिखते हैं कि इसके बावजूद आक्रान्ता को भगाकर हुमायूँ ने वादा पूरा किया।

अब इसी कहानी को इतिहास की नजरिए से समझते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि महारानी कर्णावती, राणा सांगा की पत्नी थीं। महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा ने राजपूतों को एकजुट कर मुगल शासक बाबर के खिलाफ एक मोर्चा बनाया और सन् १५२७

में खानवा (राजस्थान के भरतपुर में) के युद्ध में बाबर से भिड़े। हालाँकि, बाबर की तोपों, फौज में जिहाद की भूख भरना और नई तकनीकों का इस्तेमाल मुगलों के काम आया।

राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद बड़े बेटे विक्रमादित्य को सिंहासन पर बिठा कर महारानी कर्णावती ने शासन शुरू किया। उनका एक छोटा बेटा भी था, जिसका नाम था- राणा उदय सिंह। वही राणा उदय सिंह, जिन्होंने ३० वर्ष से भी अधिक समय तक मेवाड़ पर राज किया और उदयपुर शहर की स्थापना की। उनके ही बेटे महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने अकबर की नाक में दम किया था।

इधर बाबर की मौत के बाद १५३० में हुमायूँ गद्दी पर बैठा। उस समय गुजरात पर वहाँ की सल्तनत के बहादुर शाह का राज था। बहादुर शाह ने अपने राज्य के विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। हुमायूँ के आक्रमण के बाद ही उसके राज का अन्त हुआ था। बाद में समुद्र में पुर्तगालियों के साथ एक बैठक के दौरान बात बिगड़ गई और वो मारा गया। ये वही बहादुर शाह था, जो कभी अपने अब्बा शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह और भाई सिकन्दर शाह के डर से चित्तौड़ में छिपा था।

बाद में बहादुर शाह ने मालवा को जीता और फिर उसने चित्तौड़ पर ही धावा बोल दिया। ये तो था इन किरदारों का परिचय। इतिहासकार सतीश चन्द्रा अपनी पुस्तक 'History Of Medieval India' में लिखते हैं कि किसी भी तत्कालीन लेखक ने कर्णावती द्वारा हुमायूँ को राखी भेजने की घटना का जिक्र नहीं किया है और ये झूठ हो सकती है। तो फिर सच्चाई क्या थी? असल में हुआ क्या था, जो हमसे छिपाया गया?

पुस्तक 'The History of India for Children (Vol- 2): FROM THE MUGHALS TO THE PRESENT' में अर्चना गरोदिया गुप्ता और श्रुति गरोदिया लिखती हैं कि हुमायूँ तो चित्तौड़ पर सुल्तान बहादुर शाह के कब्जे के कुछ महीनों बाद चित्तौड़ पहुँचा था। वो तो इंतजार कर रहा था कि कब मेवाड़ का साम्राज्य ध्वस्त हो। इस दौरान बहादुर शाह भी खुलेआम चित्तौड़ में मारकाट और लूटपाट मचाता रहा।

उसके मंत्रियों ने उसे कह रखा था कि वो एक काफिर से लड़ रहा है, इसीलिए मुस्लिम होने के नाते हुमायूँ उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन, हुमायूँ ने चित्तौड़ के उसके कब्जे में जाने का इंतजार किया और फिर हमला बोला। शुरू में तो उसकी हार हो रही थी, लेकिन अन्त में किसी तरह उसने गुजरात और मालवा पर कब्जा जमा लिया। इस तरह बहादुर शाह की सल्तनत का अन्त हो गया। बहादुर शाह की सेना भी विशाल थी और उसके पास बड़े संसाधन थे।

चित्तौड़ हमले के दौरान हुमायूँ और बहादुर शाह के बीच पत्राचार भी हुआ था, जिसका जिक्र एस.के. बनर्जी ने अपनी पुस्तक 'हुमायूँ बादशाह' में किया है। बहादुर शाह ने पत्र लिख कर हुमायूँ को बताया था कि वो 'काफिरों' को मार रहा है। बदले में हुमायूँ ने भी लिखा था कि उसके दिल का दर्द ये सोच कर खून में बदल गया है कि एक होने के बावजूद हम दो हैं। और इस कहानी को एक हिन्दू त्यौहार से जोड़ कर रक्षाबन्धन को बर्बाद करने की कोशिश की गई। कर्णावती के राखी भेजने पर हुमायूँ द्वारा मदद करने की खबर उतनी ही फर्जी है, जितनी जोधा-अकबर की। आज तक कई फिल्में और सीरियल बन चुके, लेकिन किसी ने भी जोधा-अकबर की प्रमाणिकता के विश्व में रिसर्च करने की कोशिश नहीं की। जेम्स टॉड ने ही जोधा के नाम का भी जिक्र किया था। उससे पहले कहीं नहीं लिखा है कि अकबर की किसी पत्नी का नाम जोधा था। ये भी एक बनावटी कहानी भर है।

- अनुपम कुमार सिंह, चम्पारण
भारतीय इतिहास, राजनीति और संस्कृति के जानकार
बीआईटी मेसरा से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक
(साभार ऑप इण्डिया)

{महर्षि दयानन्द के अनन्त उपकारों का वर्णन लेखनी द्वारा किया जाना असम्भव है। फिर भी आचार्य राहुलदेव ने इस दिशा में एक प्रयत्न किया है। जब इस आलेख को सोशल मीडिया पर हमने देखा तो लगा कि सूत्र रूप में किये इस प्रयास को सत्यार्थ सौरभ के सुधी पाठकों के समक्ष अवश्य लाना चाहिए वह भी तब जब सम्पूर्ण विश्व उस महामना की जन्म द्विशताब्दी मना रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लेख से वैदिक मान्यताओं का भी दिग्दर्शन हो रहा है। –सम्पादक}

- ☞ वेद को सत्य विद्याओं का ग्रन्थ सिद्ध किया।
- ☞ वेदों की ओर लौटो का नारा दिया।
- ☞ वेद को ईश्वरोक्त संविधान बताया।
- ☞ वेद को मानव जाति का धर्म ग्रन्थ बताया।
- ☞ वेदों की पुनः स्थापना की।
- ☞ अशुद्ध वेद भाष्य को शुद्ध किया।
- ☞ वेदों में इतिहास नहीं है यह बताया।
- ☞ वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है यह सिद्ध किया।
- ☞ वेद मनुष्य मात्र के लिए है यह बताया।
- ☞ स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया।
- ☞ शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया।
- ☞ त्रैतवाद को पुनः स्थापित किया।
- ☞ ईश्वर जीव प्रकृति तीन अनादि तत्त्व बताए।
- ☞ वेद सिर्फ कर्मकाण्ड के लिए नहीं है यह बताया।
- ☞ वेद ईश्वर प्रदत्त हैं मनुष्य कृत नहीं हैं यह सिद्ध किया।
- ☞ स्मृति का मतलब वेद नहीं है यह बताया।
- ☞ वेद में और सृष्टि में एकरूपता है यह बताया।
- ☞ ईश्वर और जीव एक नहीं है यह सिद्ध किया।
- ☞ जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता यह बताया।
- ☞ जीव ईश्वर का अंश नहीं है इस सिद्धान्त को सुलझाया।
- ☞ प्रकृति मिथ्या नहीं है यह बताया।

- ☞ छः दर्शनों में एक रूपता है यह बताया।
- ☞ उपनिषद् ब्राह्मण आदि ग्रन्थ वेद अनुकूल हों तो सत्य है यह सिद्ध किया।
- ☞ ईश्वर कर्मफल प्रदाता है यह बताया।
- ☞ ईश्वर सब सत्य विद्या और पदार्थों का मूल है यह समझाया।
- ☞ ईश्वर एक है ईश्वर अवतार नहीं लेता यह सिद्ध किया।
- ☞ ईश्वर कभी दूत पैगम्बर नहीं भेजता यह समझाया।
- ☞ ईश्वर सर्वत्र व्यापक है।
- ☞ वेद को आलस्य रुपी शंखासुर ले गया था यह सिद्ध किया।
- ☞ वेद का ज्ञान सृष्टि के आदि में ही प्राप्त होता है यह बताया।
- ☞ तीर्थ स्थानों पर जाने से पाप नहीं कटते यह

बताया।

- ☞ गंगा में डुबकी लगाने से पाप क्षमा नहीं होते यह बताया।
- ☞ माता-पिता ईश्वर आचार्य विद्वान् ही सच्चे तीर्थ हैं।
- ☞ मूर्ति पूजा सीढी नहीं अपितु खाई है यह चेताया।
- ☞ जातिवाद को मिथ्या बताया।
- ☞ कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था को सही बताया।
- ☞ शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है यह उद्घोष किया।
- ☞ छुआछूत को मिटाया अस्पृश्यता को दूर भगाया।
- ☞ जन्म से नहीं कर्म से मनुष्य महान् बताया।
- ☞ विधवाओं का विवाह उचित बताया।
- ☞ विधवाओं को नारकीय जीवन से निकलवाया।
- ☞ सती प्रथा को मानव जाति पर सबसे बड़ा धब्बा बताया।
- ☞ बहु विवाह को घातक बताया।
- ☞ स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिलाया।
- ☞ पर्दा प्रथा पर रोक लगाया।
- ☞ बाल विवाह को बन्द कराया।
- ☞ अनमेल विवाह को बन्द करवाया।
- ☞ नारी का सम्मान बढ़ाया।
- ☞ गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया।

- ☞ ब्रह्मचर्य की महिमा बताई। क्रमशः .....

– आचार्य राहुलदेवः

वेदों में विज्ञान के उद्घोषक ऋषि दयानन्द

वेद का विषय बहुत लम्बे समय से विवादास्पद रहा है। वेद के प्राचीन प्रामाणिक विद्वान् ऋषि आचार्य यास्क ने अपने वेदार्थ-पद्धति के पुरोधा ग्रन्थ निरुक्त में वेदार्थ के ज्ञाताओं की तीन पीढ़ियों का उल्लेख किया है। पहली पीढ़ी वेदार्थ ज्ञान की साक्षात् द्रष्टा थी जिसे वेदार्थ ज्ञान में किंचित् मात्र भी सन्देह नहीं था। (साक्षात्कृत धर्माण ऋषयोः बभुवुः)। दूसरी पीढ़ी उन वैदिक विद्वानों की हुई जिन्हें वेदार्थ ज्ञान साक्षात् नहीं था। उन्होंने अपने से पुरानी ऋषियों की उस पीढ़ी से जो साक्षात्कृत धर्मा थे, उपदेश के द्वारा वेदार्थ ज्ञान प्राप्त किया। इस दूसरी पीढ़ी को भी वेदार्थ सर्वथा ज्ञात सर्वथा शुद्ध और अपने वास्तविक रूप में ही मिला (ते पुनरवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुः)। और तीसरी पीढ़ी उन लोगों की आयी जो उपदेश के द्वारा भी वेदार्थ ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ थी। उन्होंने वेद वेदांग आदि ग्रन्थों का स्वाध्याय किया और उन ग्रन्थों की सहायता से वेदार्थ ज्ञान प्राप्त किया। 'उपदेशाय ग्लायन्त इमं ग्रन्थं समाधासिषुः वेदंच वेदांगानि च।' इस तीसरी पीढ़ी को वेदार्थ ज्ञान साक्षात् रूप में नहीं हुआ अपितु परोक्ष रूप में प्राप्त हुआ। अतः इनका ज्ञान परतः प्रमाण्य ग्रन्थों पर आधारित था, वेद का स्वतः प्रामाण्य ज्ञान तो वेदार्थ को साक्षात् वेद की अन्तःसाक्षी के आधार पर समझने वाले लोगों को था। फिर इन तीनों पीढ़ियों में समय का परस्पर अन्तराल बहुत था। और इस तीसरी पीढ़ी के बाद तो उत्तरवर्ती लोगों को वेद-वेदांग आदि ग्रन्थ जो वेदार्थ के लिये परतः प्रामाण्य के ग्रन्थ हैं, और भी अधिक दुरूह और समझ से दूर हो गये। यास्क के समय तक आते-आते यह परिणाम हुआ कि वेदार्थ अधिकतर ओझल हो गया। विद्वान् वेद का मनमाना अर्थ करने लगे। एक-एक मन्त्र का अर्थ करने की परम्परा १०-११ प्रकार की चल पड़ी। यह स्वयं यास्क ने लिखा है, 'इति याज्ञिकाः, इति पौराणिका, इत्यैतिहासिकाः इति वैयाकरणाः इत्यन्ये, इन्यपरे, इत्येके' इन शब्दों में यास्क ने अपने ग्रन्थ निरुक्त में एक मन्त्र की व्याख्या अनेक प्रकार से करने का ब्यौरा दिया है। परिणामस्वरूप वेदार्थ इतना अनिश्चित, विवादास्पद बन गया कि एक सम्प्रदाय वैदिक विद्वानों की इसी कमी का दुरुपयोग और लाभ उठाकर कहने लगा कि वेद जब इतना अस्पष्ट विवादास्पद और अज्ञात है तो वेद के मन्त्र अनर्थक हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है (अनर्थकाः मन्त्रा इति कौत्सः) यह वेदार्थ के अत्यन्त अन्धकार की स्थिति थी जो यास्क के समय तक थी।

यास्क सर्वप्रथम वैदिक विद्वान् थे जिनका लिखित ग्रन्थ न केवल यह कहता है कि वेद में भौतिक विज्ञान है, अपितु वेद की व्याख्या भी इस आधार पर करता है। यास्क ने अपने निरुक्त के प्रारम्भ में ही देवता शब्द की परिभाषा दी जो देवता वेद के प्रत्येक सूक्त या अध्याय के प्रारम्भ में दिये हुए होते हैं। **(यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुक्ते**

तद्दैवतः स मन्त्रो भवति)। इस यास्कीय परिभाषा के अनुसार देवता उस सूक्त का वर्णनीय विषय होता है जो शीर्षक के रूप में प्रत्येक सूक्त या अध्याय के प्रारम्भ में वेद में दिया हुआ होता है, ताकि पाठक को निश्चय रहे कि अमुक मन्त्रों का वर्णनीय विषय अमुक है। यास्क ने समूचे वेदों के अध्याय के आधार पर यह निर्णय दिया कि सभी वैदिक मन्त्रों के देवता अर्थात् वर्णनीय विषय केवल तीन ही हैं, वे या तो पृथ्वी स्थानीय भौतिक शक्ति अग्नि है, या अन्तरिक्ष स्थानीय भौतिक शक्ति इन्द्र मेघ या विद्युत् आदि हैं, या द्युस्थानीय भौतिक शक्ति सूर्य है-

(द्र. तिस्त्र एव देवताः अग्निः पृथ्वीस्थानीयः इन्द्रोवायुर्वाऽन्तरिक्षास्थानीयः सूर्यो द्युस्थानीयः)।

समग्र विश्व मण्डल की सृष्टि (समष्टि) इन्हीं तीन भौतिक भागों में विभक्त है, और वेद इसी के विज्ञान की व्याख्या हैं जिनमें आत्मा और परमात्मा चेतन तत्त्व भी समाहित हैं, अतः वेद के मन्त्रों के तीन ही विषय या देवता हैं। निरुक्तकार यास्क ने इस स्थापना के बाद वेद के सभी देवताओं को इन्हीं तीनों भागों में बाँटकर इनकी भौतिक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। यास्क के बाद मध्यवर्ती काल में यह वैदिक विज्ञान लुप्त हो गया।

आधुनिक काल में ऋषि दयानन्द ने इसे फिर से मूल रूप से खोजा और तात्त्विक दृष्टि से समझा। अतः उन्होंने घोषणा की कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और इसमें समूचा भौतिक विज्ञान मौजूद है। उन्होंने सभी वेदों का भाष्य करने का बीड़ा उठाया और भूमिका के रूप में 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने न केवल यह घोषणा की अपितु स्थान-स्थान पर भौतिक विज्ञान के नमूने वेदमन्त्रों की व्याख्या करके प्रस्तुत किये। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक विज्ञान प्रथम कोटि का विज्ञान है जो आत्मा और परमात्मा का विज्ञान है जो वेद में स्पष्ट है। भौतिक विज्ञान इस आध्यात्मिक विज्ञान के बिना अधूरा और पंगु है तथा अप्रासंगिक है, जैसे शरीर चेतन तत्त्व या आत्मा के बिना बेकार और मुर्दा है। आधुनिक भौतिक विज्ञान में यह उन्होंने एक नया अध्याय जोड़ा जो कोरे और नंगे भौतिक विज्ञान की पूर्ति की पराकाष्ठा ही नहीं अपितु भौतिक विज्ञान की अनेक कमियों और समस्याओं का एक मात्र समाधान भी है। वेदान्त दर्शन में इसी आध्यात्मिक विद्या का विस्तार है जिसे आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक समझने में संलग्न हैं। वायुयान विज्ञान, तार विज्ञान, विद्युत् विज्ञान आदि अनेक भौतिक विज्ञानों के नमूने ऋषि दयानन्द ने मन्त्रों की व्याख्या करके सर्वप्रथम प्रस्तुत किये। वेदों में भौतिक विज्ञान का उद्घोष ऋषि दयानन्द का आधुनिक युग का अद्वितीय क्रान्तिकारी नारा था।

ऋषि दयानन्द के बाद महा-महोपाध्याय श्री मधुसूदन ओझा हुए जो महाराजा जयपुर के राज पण्डित थे। इनका जन्म सन् १८६६ में हुआ और मृत्यु सन् १९३९ में। इन्होंने सन् १८८४ में १८ वर्ष की आयु में (ऋषि दयानन्द के निर्वाण के बाद) वेदों पर लिखना प्रारम्भ किया। श्री मधुसूदन ओझा पौराणिक जगत् के परम प्रामाणिक वैदिक विद्वान् माने जाते हैं। महा-महोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी इन्हीं के प्रधान शिष्य माने जाते हैं जिनका नाम अभी भी पौराणिक जगत् में विख्यात है।

ऋषि दयानन्द के बाद श्री पण्डित मधुसूदन ओझा ने 'वैदिक विज्ञानम्' पुस्तक (संस्कृत) लिखी जिसका सम्पादन श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने किया। इस पुस्तक में श्री पण्डित मधुसूदन ओझा ने ऋषि दयानन्द की ही बात का समर्थन करते हुये वेदों में भौतिक विज्ञान स्वीकारा और वेद मन्त्रों की व्याख्या द्वारा वेदों में भौतिक विज्ञान प्रस्तुत किया। ऋषि दयानन्द के अनुकरण पर ही इन्होंने कहा 'वेदः सत्याविद्यानां निधाननमस्ति' (वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है)। इन्होंने भारतीयों को अपनी सभी पुस्तकों में ऋषि दयानन्द के अनुकरण पर ही सर्वत्र आर्य कहा, कहीं भी हिन्दू नहीं कहा। ऋषि दयानन्द का पौराणिक जगत् पर यह अद्भुत जादू जैसा प्रभाव था जिसे बहुत कम विद्वान् जानते हैं और अब तो

सम्भवतः इस रहस्यमय तथ्य को भूल भी गये हैं। पण्डित मधुसूदन ओझा की यह 'वैदिक विज्ञानम्' पुस्तक हमारे पास है जिसके विषय में विस्तार से हम फिर कभी लिखेंगे। वेदों में भौतिक विज्ञान के नमूने जानने के लिये हॉलैण्ड से प्रकाशित हमारी पुस्तक "Glorious Vision of the Vedas" देखिये।

२१वीं सदी पश्चिम के विज्ञान की आँधी और तूफान लेकर विश्व में आयेगी। वैज्ञानिक आविष्कार प्रकृति के रहस्यों को खोल कर रख देंगे। भौतिक विज्ञान की उपलब्धियाँ मानव को इतना साधन सम्पन्न बना देंगी कि जीवन के तौर तरीके सर्वथा बदल जायेंगे। समाज और राष्ट्र का एक नया भौतिक रूप उभर कर सामने आयेगा। ऐसे समय में समूचे भारत राष्ट्र की परिचायक सत्ता का प्रश्न प्रबल रूप से खड़ा होगा। वेद और प्राचीन भारतीय शास्त्रों का ज्ञान-विज्ञान पश्चिम की इस आँधी के साथ टक्कर लेने और अपना योगदान विश्व को देने की पूरी क्षमता रखते हैं। देश और मानव की गरिमा को वैदिक ज्ञान-विज्ञान ही अक्षुण्ण बचा कर सर्वोपरि स्थान पर रख पायेगा। यही देश और समाज की सबसे अधिक मूल्यवान् और महत्वपूर्ण धरोहर होगी जिस पर भारतीय राष्ट्र गर्व करके पश्चिम के भौतिक अन्धकार को सूर्य के समान विश्व को प्रकाश दिखला सकता है। स्वामी दयानन्द जी महाराज का वेदों में विज्ञान का यह उद्घोष ऐसे समय में वैदिक ज्ञान-विज्ञान की खोज करके मानवमात्र का प्रकाश स्तम्भ बन सकता है जिससे राष्ट्र और वेद की पताका सर्वोपरि लहराती रहे और आधुनिक भौतिक विज्ञान में अपने आप को भूलते हुये मानव को आध्यात्मिक चेतना की याद दिलाती रहे जो अखण्ड समष्टि के दर्शन की समूची वैज्ञानिक व्याख्या है। भौतिक विज्ञान के ऊपर चेतन तत्त्व (आत्मा-परमात्मा) का यह परा विज्ञान- ये दोनों मिल कर सर्वांगीण विज्ञान बनता है। जिसे वेद के माध्यम से स्वामी दयानन्द आधुनिक जगत् को देना चाहते हैं।

यह भी तथ्य ध्यातव्य है कि इस तर्कवाद और विज्ञानवाद के युग में विश्व के बड़े से बड़े वे सभी धर्म और सम्प्रदाय धराशायी होने का खतरा महसूस कर रहे हैं जो अन्धविश्वास और तर्क तथा युक्तिहीन आस्था और श्रद्धा तथा मानव में साम्प्रदायिक भेदभाव और घृणा, द्वेष तथा हिंसा की नींव पर टिके हैं। केवल ऋषि दयानन्द का उद्घोषित वैदिक धर्म ही ऐसा है जो छाती तान कर तर्क, युक्ति और विज्ञान का स्वागत करता है। स्वयं विज्ञान की गुत्थियाँ सुलझाने का दावा करता है और मानवमात्र को मनुर्भव एक इन्सान के रूप में देखने, मित्रता और प्रेम की दृष्टि प्राणिमात्र के प्रति रखने तथा युक्ति और तर्क के आधार पर धर्म को परखने का पैमाना प्रस्तुत करता है। तर्क, युक्ति और विज्ञानवाद पर आधारित ऐसे वेद को कभी कोई खतरा नहीं हो सकता यही स्वामी दयानन्द का उद्घोष है।

क्रमशः.....

लेखक- डॉ. महावीर मीमांसक
ए-३/११, पश्चिम बिहार, दिल्ली
चलभाष- ९८११९६०६४०

मोक्ष की अवधि व प्राप्ति का पूरा ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश में निहित

ईश्वर ने मनुष्य व प्राणियों के जो शरीर बनाये हैं वे अन्नमय शरीर हैं। यह शरीर सीमित अवधि तक ही जीवित रह सकते हैं। यह अनित्य वा मरणधर्मा होते हैं। जिस प्रकार एक भवन पुराना होने पर कमजोर होकर गिर जाता है, लगभग उसी प्रकार से मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर भी शैशवावस्था के बाद वृद्धि को प्राप्त होकर युवावस्था में पूर्ण विकास को प्राप्त होते हैं। इस युवावस्था में शारीरिक शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं। कुछ काल तक यह अवस्था बनी रहती है और फिर वृद्धावस्था आरम्भ हो जाती है। वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर मनुष्य का शरीर जीर्ण होने लगता है और लगभग १०० वर्ष से पूर्व ही अधिकांश मनुष्यों का शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि का एक प्रमुख नियम यह है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी अवश्य होता है। उत्पत्ति अभाव से नहीं होती और इसी प्रकार नाश होने पर भी किसी भौतिक व नित्य चेतन व जड़ पदार्थ का अभाव नहीं होता। वह कारण अवस्था के बाद की परमाणु व अणु के रूपों में विद्यमान रहते हैं। जीवात्मा शरीर में रहे या मृत्यु होने पर शरीर से निकल जाये, यह अपनी मूलावस्था जो विकाररहित होती है, में ही रहता है। सृष्टि की आदि में ईश्वर मूल प्रकृति में विकार उत्पन्न कर सभी जीवात्माओं के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है। सभी जन्मों में साथ रहता है और सभी योनियों में मृत्यु होने पर भी आत्मा के साथ स्थूल शरीर से निकल कर ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार नये शरीर में चला जाता है। इससे ज्ञात होता है कि जन्म व मरण अर्थात् जीवन व मृत्यु का कारण हमारे शुभ व अशुभ कर्म होते हैं जिन्हें पुण्य व पाप कर्म भी कहा जाता है।

मृत्यु के बारे में हमने यह जाना है कि शरीर के दुर्बल व रोगी होने पर शरीर की मृत्यु होती है। मृत्यु का अर्थ होता है कि इस शरीर का जीवात्मा जिसे विज्ञान की भाषा में मनुष्य जीवन का साफ्टवेयर कह सकते हैं, शरीर से निकल जाता है और हार्डवेयर के रूप में शरीर यहीं रह जाता है जिसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। एक प्रश्न यह भी है कि क्या हम मृत्यु और जन्म के चक्र से छूट सकते हैं। इसका उत्तर हाँ में हैं। वेद और शास्त्र इसका समाधान यह बताते हैं कि यदि हम अशुभ कर्म न करें, पूर्व कृत अशुभ व पाप कर्मों का भोग कर लें और इस जीवन में ईश्वर, जीवात्मा व सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर ईश्वरोपासना कर, ईश्वर का साक्षात्कार कर लें तो हमारा जन्म व मरण के चक्र से अवकाश होकर हमें मोक्ष व मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति की अवधि ईश्वर के एक

वर्ष अर्थात् ३१, १०, ४० अरब (३१ नील १० खरब ४० अरब) वर्षों के बराबर होती है। इतनी अवधि तक जीवात्मा ईश्वर के सान्निध्य में रहकर सुख भोगता है। मोक्ष प्राप्ति का पूरा ज्ञान सत्यार्थप्रकाश के नवम समुल्लास को पढ़कर किया जा सकता है। सभी मनुष्यों को मोक्ष के विषय में अवश्य जानना चाहिये और इसके लिए प्रामाणिक ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश ही है या वे ग्रन्थ हैं जहाँ से सत्यार्थप्रकाश की सामग्री का संकलन ऋषि दयानन्द जी ने किया था। प्राचीन काल में हमारे समस्त ऋषि-मुनि, ज्ञानी व विद्वान् सभी मोक्ष को सिद्ध करने के लिए वेद एवं वैदिक शास्त्रों के अनुसार साधना करते थे। अब भी कोई करेगा तो वह इस जन्म वा कुछ जन्मों में मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर सकता है क्योंकि वेद के ऋषियों ने जो सिद्धान्त दिये हैं वह उनके गहन तप, स्वाध्याय, साधना एवं ईश्वर साक्षात्कार के अनुभव के आधार पर हैं। ऋषि दयानन्द में यह सभी गुण विद्यमान थे, अतः उनके सभी सिद्धान्त भी प्रामाणिक हैं।

वेद व सत्यार्थप्रकाश आदि का अध्ययन करने के बाद यह तथ्य सामने आता है कि हम इस जन्म से पूर्व पिछले जन्म में कहीं मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उस जन्म व उससे पूर्व के संचित कर्मों के भोग के लिए हमारा यह जन्म हुआ था। इस जन्म में भी वृद्धावस्था आदि में हमारी मृत्यु अवश्य होगी जिसे हम वेद आदि ग्रन्थों के अध्ययन से जानकर मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। वेद स्वाध्याय, यज्ञ, दान, सेवा, साधना व उपासना से हम जीवनमुक्त अवस्था को प्राप्त कर व मोक्ष को प्राप्त होकर अभय व निर्द्वन्द हो सकते हैं। आईये, ईश्वरीय निर्भ्रान्त ज्ञान वेद व सत्यार्थप्रकाश आदि ऋषिकृत ग्रन्थों के स्वाध्याय का व्रत लें। उनमें निहित ज्ञान को प्राप्त कर साधना करें और मोक्ष प्राप्ति के साधनों को अपनायें। मृत्यु के भय से मुक्त होकर हम अन्यों में भी जीवन व मृत्यु के रहस्य का प्रचार कर उन्हें भी अभय प्रदान करें।

लेखक- अभिनन्दन कुमार
हिल्सा-नालन्दा (बिहार)

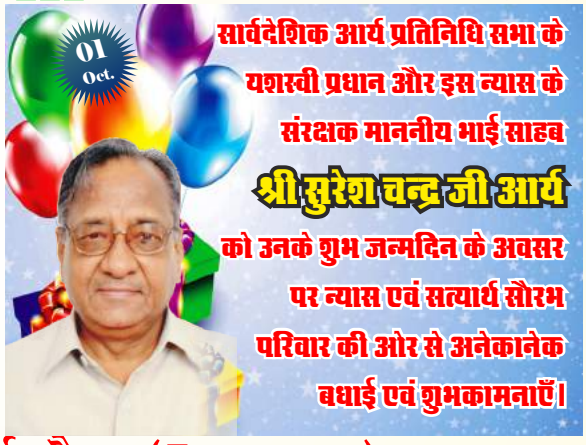

संरक्षक मण्डल - सत्यार्थ सौरभ (₹११,०००)

श्री रतिराम शर्मा, श्री रामेश्वर दयालु गुप्त; गाजियाबाद, श्रीमान् आनन्द कुमार आर्य, श्री सुरेश चन्द्र आर्य, श्री दीनदयाल गुप्त, स्वामी (डॉ.) ओमानन्द सरस्वती, श्री बी.एल. अग्रवाल, श्री भवानी दास आर्य, श्री मिठाईलाल सिंह, श्री चन्दूलाल अग्रवाल, श्री कै. देवरत्न आर्य, श्री नारायण लाल मित्तल, श्रीमती आभा आर्या, श्रीमती शारदा गुप्ता, श्रीमती पुष्पा गुप्ता, स्वामी (डॉ.) आर्येशानन्द सरस्वती, श्री सुधाकर पीयूष, आर्यसमाज गाँधीधाम, आर्य परिवार संस्था कोटा, श्री राजकुमार गुप्ता एवं सरला गुप्ता, प्रो. आई. जे. भाटिया; नासिक, श्री श्रवण कुमार गुप्ता, श्रीमती ओमप्रकाश वर्मा; जयपुर, श्री कृष्ण चौपड़ा, श्री दीपचन्द आर्य; बिजनौर, श्री खुशहालचन्द आर्य, गुप्तदान उदयपुर, श्री राव हरिश्चन्द्र आर्य, श्री लक्ष्मण सराफ, श्री मोती लाल आर्य, श्री रघुनाथ मित्तल, श्री जयदेव आर्य, स्वामी प्रवासानन्द सरस्वती, श्री नरेश कुमार राणा, स्वामी प्रणवानन्द सरस्वती, श्री वीरेन्द्र मित्तल, श्री विजय तायलिया, गुप्त दान दिल्ली, प्रो. आर.के.एरन, श्री एम. विजेन्द्र कुमार टॉक, श्री विकास गुप्ता, श्री भारतभूषण गुप्ता, डॉ.मोतीलाल शर्मा, डी.ए.वी. एकेडमी, टाण्डा, मिश्रीलाल आर्य कन्या इण्टर कॉलेज, टाण्डा, श्री एम.पी. सिंह, श्री रामप्रकाश छाबड़ा, श्री प्रधान जी, मध्यभारतीय आ. प्र. सभा, श्री विवेक बंसल, श्रीमती गायत्री पंवार, डॉ. अमृतलाल तापड़िया, श्री लोकेश चन्द्र टांक, आर्य समाज हिरणमगरी, उदयपुर, श्री प्रह्लादकृष्ण एवं श्रीमती प्रभा भार्गव, डॉ. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री वीरसेन मुखी, श्री सुरेशपाल, यू.एस.ए., श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना, कोटा, श्रीमती सुमन सूद, कन्डा घाट (सोलन), माता शीला सेठी, न्यूजर्सी, डॉ. एस. के. माहेश्वरी, उदयपुर, श्री राजेश तिवारी (शिक्षक), ग्वालियर, डॉ. पूर्णसिंह डबास, नई दिल्ली, श्रीमती सविता सेठी, चण्डीगढ़, श्री बृज वधवा, अम्बाला शहर, श्री हजारी लाल आर्य, उदयपुर, डॉ. सत्यप्रकाश, हरदोई, श्री राजेन्द्रपाल वर्मा, वडोदरा, प्रिन्सीपल डी. ए. वी. एच. जेड. एल. सी. सै. स्कूल, दरीबा (राजसमन्द), आचार्य आनन्द पुरुषार्थी, होशंगाबाद, श्री ओ३म् प्रकाश अग्रवाल, नोएडा, श्री भरत ओ३म् प्रकाश अग्रवाल, अहमदाबाद, श्री सुरेन्द्र कर्मचन्दानी, पुणे, डॉ. आनन्द कुमार शर्मा, नई दिल्ली, श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, यू.एस.ए., श्री शुद्धबोध शर्मा; श्रीगंगानगर, श्री कन्हैया लाल आर्य, शाहपुरा, डॉ. सत्या पी. वार्ष्णेय; कनाडा, श्री अशोक कुमार वार्ष्णेय; बडोदरा, श्री नागेन्द्र प्रसाद गुप्ता, बगहा (बिहार), श्री गणेशदत्त गोयल, बुलन्दशहर (उ. प्र.), श्री पूर्णचन्द आर्य, कानोड़, श्री वेदप्रकाश आर्य; नई दिल्ली, श्री सत्यनारायण शर्मा; उदयपुर, श्रीमती राधा देवी-रतन लाल राजोरा; निम्बाहेड़ा, श्री सत्यप्रकाश शर्मा; उदयपुर, सुदर्शन कपूर; पंचकूला, श्री देवराज सिंह; उदयपुर, श्रीमती ललिता मेहरा; उदयपुर, श्री कृष्ण लाल डंग आर्य; हिमाचल प्रदेश, श्री जी. राजेश्वर (गौड़) आर्य; हैदराबाद, पुरुषोत्तम लाल मेघवाल; उदयपुर, श्री बलराम जी चौहान; उदयपुर, श्री राकेश जैन; उदयपुर, श्रीमती कमलकान्ता सहगल; पंचकूला, श्री अम्बालाल सनाढ्य; उदयपुर, श्री भँवर लाल आर्य; उदयपुर, श्री वेलजी धनजी भाई; महाराष्ट्र, श्री सज्जनसिंह कोठारी; जयपुर, श्री चेतन प्रकाश आर्य; जोधपुर, ठाकुर जितेन्द्र पाल सिंह; अलीगढ़, श्री घनश्याम शर्मा; जयपुर, श्री मानसिंह चौहान; डूंगरपुर, श्री अजय कुमार गोयल; पानीपत

रामायण को जानिये

वानर पदार्थ विवेचन

वानर एक मानव जाति ही थी ये निश्चय ही समझना चाहिए। महावीर हनुमान के संक्षिप्त परिचय में उस नर पुंगव के अपूर्व पाण्डित्य, दानशीलता, नीति ज्ञान, अतुलित शौर्य पराक्रम, सेवाभाव और ब्रह्मचर्य व्रत के सम्बन्ध में विचार कर चुके हैं। (द्र. शुद्ध हनुमच्चरित) क्या यह सब विशेषताएँ एक बन्दर में सम्भव हैं? यहाँ इस सम्बन्ध में कतिपय तथ्यों पर और विचार करते हैं।

जब श्रीराम लक्ष्मण के सहित ऋष्यमूक पर्वत पहुँचते हैं तो शंका में घिरे सुग्रीव उनकी वास्तविकता जानने श्री हनुमान को भेजते हैं। तब श्री राम का हनुमान से संवाद होता है।

(१) हनुमान् की बातचीत सुन राम, लक्ष्मण को कहते हैं कि यह ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम को अच्छी तरह जानता है तथा इसने अनेक बार व्याकरण पढ़ा है। - किष्किन्धा सर्ग ३/२८, २९

राम-सुग्रीव की मैत्री के समय हनुमान् ने याज्ञिक ब्राह्मणों की भाँति अरणियों से अग्नि को निकाल कर हवन कुण्ड में स्थापित किया। - किष्किन्धा ५/१३, १४

(अरणियों से अग्नि प्रज्ज्वलित कर अग्न्याधान की विधि आज केवल कुछ दाक्षिणात्य पण्डित ही कर पाते हैं जबकि श्री हनुमान इस विधि को सामान्य तौर पर सम्पन्न करते हैं- सम्पादक)

(२) हनुमान् की माता अंजना और पिता केसरी बन्दर न थे अपितु धार्मिक पुरुष थे, और मनुष्य की सन्तान पशु, पक्षी कभी नहीं हो सकती ।

देखो- वा. रा. किष्किन्धा सर्ग ६६/८

(३) वर्षाकाल बीतने पर राज्य सिंहासन पर बैठे सुग्रीव को सीता की तलाश करने के लिए महामंत्री के नाते जो उपदेश हनुमान् ने सुग्रीव को दिया, क्या उसे कोई वेदवित् विद्वान् होने के बिना कर सकता है?

देखो- वा. रा. किष्किन्धा २९/८-२५

(४) सीता की सुध के लिए जब हनुमान लंका की अशोक वाटिका में गए, तो पहले सीता ने उन्हें

रावण समझ कर बातचीत में संकोच किया, पर पीछे जब हनुमान ने विश्वास दिलाया कि मैं राम का सन्देश लेकर आया हूँ, तथा राक्षसों के डर से रात को लंका में दाखिल हुआ हूँ, तब सीता ने प्रसन्नता प्रगट की।

देखो- सु. का. सर्ग ३५

इससे भी ज्ञात होता है कि हनुमान बन्दर न थे, पुरुष थे। एक तो यदि बन्दर होते तो हनुमान में रावण का भ्रम न होता, दूसरे हनुमान लंका में रात को न आते बल्कि दिन में अन्य पशु-पक्षियों की भाँति आते। क्योंकि राज्य के गुप्तचर भी विदेशी पुरुषों की देखरेख किया करते हैं, न कि पशु-पक्षियों की ।

अब बाली के सम्बन्ध में विचारें

बाली की राम से बातचीत, सुग्रीव को सन्देश, अंगद को उपदेश तथा मानुषी धर्म शास्त्रानुसार छोटे भाई की स्त्री से बलात् सम्बन्ध करने के अपराध में वध रूप दण्ड श्रीराम के हाथ से मिलने और अन्त में द्विजों की भाँति वेदरीति के अनुसार संस्कार करने या कराने से प्रतीत होता है कि वह बन्दर न था। उत्तर काण्ड में भी लिखा है कि जब रावण युद्ध के लिए आया तो बाली समुद्र तट पर सन्ध्या कर रहा था, देखो (उत्तर काण्ड सर्ग ३४)। स्पष्ट है कि बाली न केवल साधारण पुरुष था अपितु वैदिक धर्मी उच्च वर्ण का राजा था। हमारे विचार से तो वह सूर्यवंश की किसी बिछुड़ी हुई शाखा का फल था क्योंकि उसके पिता का नाम अंशुमान और अन्य वृद्धों का नाम सूर्य या सूर्य-वंशी लिखा है।

(देखो- वा. रा. किष्किन्धा काण्ड सर्ग ४/२८)।

सुग्रीव को जो बाली का भाई था 'भास्करात्मजः सूर्यपुत्रो महावीर्यः' के विशेषण से स्मरण किया गया है। बाली के मरने पर उसकी स्त्री ने उसे 'आर्य' कहकर विलाप किया है (देखो कि. २०/१३)। इसी तरह के अनेकों प्रमाण अन्य ग्रन्थों में मिलते हैं। सुग्रीव के सम्बन्ध में भी थोड़ा सोचें। जो लोग सुग्रीव को बन्दर मानते हैं वे तनिक विचार करें या वाल्मीकीय रामायण पढ़कर बतावें कि

(१) क्या कभी बन्दरों के भी वेदवेत्ता ब्राह्मण मन्त्री होते हैं? - वा. रा. किष्किन्धा ३/२६/३

(२) क्या बन्दरों की शरण में भी कभी रामचन्द्र जैसे विद्वान् या योद्धा जाया करते हैं? - कि.४/१८

(३) क्या कभी बन्दर भी अग्निहोत्र कर वेद मन्त्रों से मैत्री दृढ़ किया करते हैं ? - कि.५/१४, १६

(४) क्या कभी बन्दरों की भी शास्त्रविहित पाप-पुण्य की मर्यादा देखी है? - किष्किन्धा १८/४/४१

(५) क्या कभी बन्दरों का राजतिलक, रत्न, धूप-दीप या औषधियों के जल से स्नान और हवन-यज्ञ होता है या उनमें राज्याधिकारों की पद्धति ऐसी ही होती है जैसी कि सुग्रीव के वंश में थी? - किष्किन्धा २६/२४

(६) क्या किसी बन्दर को 'आर्य' भी कहा जाता है? - किष्किन्धा ५५/७

(७) क्या बन्दरों में भी कभी तारा, रूमा, अंजना जैसी पतिव्रता और शास्त्र जानने वाली स्त्रियाँ हुईं, देखो। - किष्किन्धा ३५/३/५

(७) क्या बन्दरों की पत्नी बन्दरी की जगह नारियाँ हो सकती हैं ?

(५) क्या कभी किसी बन्दर को विद्वानों या राजाओं की सभा में बुलाया गया था? - उत्तर काण्ड सर्ग ४०

यदि नहीं, तो क्यों सुग्रीवादि की जाति को आर्य जाति की वानर नाम से प्रसिद्ध एक उप जाति नहीं मानते? आशा है, इन्हीं प्रमाणों से पाठक अंगद आदि के सम्बन्ध में भी समझ लेंगे। **क्रमशः .....**

- आचार्य प्रेमभिक्षु
(साभार- शुद्ध रामायण)

सत्यार्थप्रकाश प्रचार सहयोग निधि

सत्यार्थ प्रकाश से उत्कृष्ट कोई ग्रन्थ नहीं जिसके प्रकाशन में आपकी पुण्य दान राशि का प्रयोग हो। सत्यार्थ प्रकाश प्रचार हेतु, कम राशि में अधिक संख्या में यह महान् ग्रन्थ जन-जन के हाथों में पहुँच सके, एतदर्थ निम्न योजना निर्मित की गई है-

सत्यार्थप्रकाश के प्रचार हेतु कृपया निम्नानुसार सहयोग कर लागत मूल्य से आधी कीमत में सत्यार्थप्रकाश का दिया जाना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा सहयोगार्थ प्रदान की गई राशि के समक्ष अंकित प्रतियों पर आपका अथवा आपके किसी प्रियजन का चित्र ग्रन्थ के कवर पर दिया जावेगा।

1000 प्रतियों के प्रकाशन हेतु 25000 रुपये का दान देने का श्रम करें। 10 प्रतियाँ निःशुल्क आपके पास भेजी जाएँगी।

आपका दान आयकर अधिनियम की धारा ८० जी के अन्तर्गत करमुक्त होगा। राशि न्यास के नाम ड्राफ्ट या चैक द्वारा भेजें अथवा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, उदयपुर खाता क्रमांक 310102010041518, IFSC-UBIN 0531014 में जमा कर सूचित करें।

निवेदक

अशोक आर्य	भवानीदास आर्य	डॉ. अमृत लाल तापड़िया
अध्यक्ष-न्यास	मंत्री-न्यास	संयुक्तमंत्री-न्यास

शरद ऋतु

(पथ्यापथ्य एवं व्याधि निवारण)

आश्विन एवं कार्तिक मास (१६ सितम्बर से १५ नवम्बर) का समय शरद ऋतु के अन्तर्गत आता है। यह समय पित्त प्रकोप का माना गया है। वर्षा ऋतु में हमारे अंग वर्षा एवं शीत के अभ्यस्त हो जाते हैं। वे जब सहसा शरद्काल की तीव्र सूर्य की किरणों से संतप्त होते है तो संचित पित्त प्रकुपित हो जाता है। ऐसी अवस्था में प्रकुपित पित्त को शान्त करने के लिए निम्न औषधियाँ सेवन कर सकते हैं-

मुनक्का (द्राक्ष), निशोथ, धमासा, बागर मोथा, मिश्री, खस, श्वेत चन्दन, मुलहठी, शिकाकाई। इनका समभाग चूर्णकर मुनक्का को पीस कर गोली बना लेवें। २ गोली रात को सोते समय लेंवे अथवा इनका काढ़ा बनाकर पीने से पित्त प्रधान रोग नहीं होते। यह योग शरद ऋतु के प्रारम्भ में लेना चाहिए। ३ दिन तक लेने से बच्चे बूढ़े, सभी पेट साफ होकर पित्त का निर्हरण हो जाता है।

शरद ऋतु में शीतल, मधुर, तिक्त, रक्त, पित्त को शमन करने वाला आहार सेवन करना चाहिए। सांठी चावल व गेहूँ का सेवन करना ठीक रहता है। अमरूद, टमाटर, सिंघाड़ा, गाजर, मूली, पालक, गोभी आदि का खूब उपयोग करना चाहिए। इस ऋतु में व्यायाम करना बहुत लाभकारी है। व्यायाम के पश्चात् तेल की मालिस करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में उठकर टहलना भी बहुत लाभदायक है। पूर्णिमा की रात्रि चन्द्र किरणें पित्त शामक होती है।

शरद ऋतु में मुख्यतः होने वाली व्याधियों का घरेलू उपचार

पित्तवृद्धि व पित्त का वमन-

१. गन्ने के ताजे रस में शुद्ध शहद मिलाकर दिन में २-३ बार पीवें।
२. आंवला चूर्ण ३-३ ग्राम मिश्री मिलाकर दिन में तीन बार जल से लें।

अम्लपित्त-

१. ककड़ी के रस में धनिये की पत्ती का रस मिलाकर पीवें।
२. खीरे का सेवन करें।

अल्सर-

मुलेहठी की जड़ का चूर्ण १-१ चम्मच तीन बार दूध से लेवें।

जुकाम-

१५ नग तुलसी के पत्ते, चौथाई चम्मच सैंधा नमक, चौथाई चम्मच पिसी हुई सौंठ, पाँच नग पिसी काली मिर्च। इन सबको १ गिलास पानी में उबालकर, छान कर सोने से पहले पीने से २ दिन में जुकाम ठीक हो जाता है।

एलर्जी-

मुलेठी, अदरक, काली मिर्च उबालकर पीवें।

मलेरिया-

संजीवनी वटी और गोदन्ती भस्म १०-१० ग्राम लेवें। महा सुदर्शन धनवटी और गिलोय धनवटी २०-२० ग्राम लेवें इन सबको मिलाकर २० मात्रा बना लेवें। १-१ सुबह-शाम उष्ण जल से लेवें। बच्चों को आयु के अनुसार मात्रा कम कर देवें।

डेंगू-

१. पपीते के पत्ते का रस पीवें।
२. चुकन्दर का रस पीवें।
३. गेहूँ के ज्वारे का रस सेवन करें।
४. गिलोय स्वरस सेवन करें।
५. वमन हो तो सेव के रस में नींबू मिलाकर पीवें।
६. हरी इलायची के दाने मुख में रखें।
७. कीवी का सेवन करें।

शरद ऋतु में हरीतकी प्रयोग-

छोटी हरड़ का चूर्ण बारीक पीसकर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर ४-४ ग्राम की मात्रा में गर्म पानी से लेने पर पित्त विकार, पित्त से होने वाली जलन, मूत्रकृच्छ व पित्त जनित उदर विकार ठीक होते हैं।

यज्ञ चिकित्सा-

इस ऋतु में श्वेत चन्दन, लाल चन्दन, पीला चन्दन, गुग्गुलु, नागकेशर, इलायची बड़ी, गिलोय, चिरौंजी, विदारीकन्द, गूलर की छाल, ब्राह्मी, दालचीनी, कपूर कचरी, मोचरस, पित्तपापड़ा, अगर, भारंगी, इन्द्र जौ, रेणुका, मुनक्का, असगंध, शीतल चीनी, जायफल, चिरायता, केसर, किसमिस, जटामांसी, तालमखाना आदि औषधियों से युक्त सामग्री से यज्ञ करने से इस मौसम में हाने वाली व्याधियों से बचाव होता है।

- डॉ. वेदमित्र आर्य
सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर

कहानी दयानन्द की

कथा सरित

'मैं तुझसे धन नहीं माँगता अपितु तेरा जीवन चाहता हूँ। तू अपना जीवन मुझे दक्षिणा में दे और प्रतिज्ञा कर कि जितने दिन जीवित रहेगा उतने दिन वैदिक धर्म को प्रतिष्ठित करने और आज भारत में व्याप्त अज्ञान अंधकार को नष्ट करने का यत्न करेगा। इसके अनुसार गुरुदेव से प्रतिज्ञा बद्ध होकर मैंने यह व्रत धारण किया है। मैं ज्ञान के अनुसंधान में बहुत स्थान में बहुत दिनों तक फिरा हूँ परन्तु मेरी तृप्ति अन्त में गुरु विरजानंद के चरणों में बैठकर ही हुई है।' यह बात कहने वाला और कोई नहीं हमारा युवा संन्यासी दयानन्द ही है। मथुरा से सन् १८६४ के अप्रैल मई में चलकर, आगरा आकर के यमुना किनारे सेठ गुल्लामल जी के बाग में प्रवास के मध्य, एक दिन श्री सुन्दरलाल जी, बालमुकुन्द जी इत्यादि के साथ बैठे हुए दयानन्द गुरु के संस्मरण सुना रहे थे।

सुन्दरलाल दयानन्द जी से अत्यन्त प्रभावित थे। कुछ दिनों के मिलन के पश्चात् सुन्दरलाल जी दयानन्द के और अधिक भक्त हो गए और उनसे अष्टाध्यायी और गीता इत्यादि पढ़ना प्रारम्भ किया।

प्रतीत यह होता है कि अभी स्वामी दयानन्द अपने मत को निश्चयात्मक रूप देने में लगे हुए थे और गुरु की शिक्षा पर पुनः पुनः विचार करते हुए जहाँ-जहाँ भी शंका होती थी वह पत्र लिखकर के गुरु से उसका निवारण कर लिया करते थे। ये पत्र आज लुप्त हैं अन्यथा स्वामी जी की शंकाओं और उनके निवारण का सम्पूर्ण वृत्तान्त हमें ज्ञात हो जाता।

स्वामी जी को यह स्पष्ट होता जा रहा था कि जब तक वेद का साक्षात् वे नहीं करेंगे, तब तक सभी तत्त्वों का सत्य-सत्य निरूपण ना हो सकेगा। पण्डित सुन्दरलाल जी ने ऋग्वेद की एक पुस्तक उनके लिए जयपुर से मंगा कर के उनको दी थी। इस समय में यह सुनिश्चित रूप से अभिज्ञात होता है कि स्वामी जी भागवत का खण्डन किया करते थे। वे अपने गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनते थे, तो क्या उनका झुकाव अभी भी अपने पारिवारिक मत शैव मत की ओर था? ऐसा कुछ-कुछ अन्दाज अवश्य होता है। स्वामी जी के उपदेश से सेठ रूपलाल जी ने संध्या की ३०००० पुस्तक छपाईं जो कि एक आना प्रति पुस्तक की दर से बेची गईं। इसके प्रकाशन पर सेठ रूपलाल का १५०० रुपये व्यय हुआ।

मानव की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र होती है। अनायास ही अकारण ही कई बार अन्यों से द्वेष करने लग जाता है। स्वामी जी के जीवन में तो आगे चलकर के हम देखेंगे ऐसे पचासों अवसर आए जब कि द्वेष के वशीभूत होकर न केवल उनका भिन्न-भिन्न प्रकार से अपमान किया गया परन्तु उनके प्राण भी लेने के प्रयास किए गए। परन्तु अभी तो दयानन्द कार्यक्षेत्र में पूरी तरह से उतरे भी नहीं थे, फिर भी उनके साथ रहने वाला एक साधु उनसे द्वेष करने लगा और यहाँ तक कि जब एक बार स्वामी जी ने सभी साधुओं के लिए भोजन कराने का उपक्रम किया तो रसोइयों को मिलाकर और कुछ नहीं तो भोजन में नमक ज्यादा करवा दिया, ताकि स्वामी जी की बुराई हो सके। तो आगे चलकर के जो विषम परिस्थितियाँ आनी थीं उनके प्रारम्भिक संकेत दयानन्द को आगरा में ही, जो कि मथुरा के पश्चात् उनका प्रथम प्रवास था, वहाँ मिल गए। स्वामी जी आगरा में २ वर्ष के करीब ठहरे और उसके बाद ग्वालियर के लिए प्रस्थान किया।

प्रस्तुति- नवनीत आर्य
नवलखा महल, उदयपुर

समाचार

'योगीराज श्री कृष्ण जी' विषय पर ऑनलाइन गोष्ठी

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के तत्वावधान में १० सितम्बर २०२३ को 'योगीराज श्री कृष्ण जी' विषय पर ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह करोना काल से ५७२वाँ वेबिनार था।

वैदिक विद्वान् आचार्य चन्द्र शेखर शर्मा (ग्वालियर) ने सुदामा का उदाहरण देते हुए महामित्र की संज्ञा दी। अर्जुन का सारथी बनने को महासारथि बताया। महाभारत युद्ध में पाण्डवों की विजय को महानितिज्ञ ही सफल बना सकता है। युद्ध के मैदान में गीता का सन्देश देना महाज्ञानी ही यह कर सकता है। व्यक्ति श्री कृष्ण जी से बहुत कुछ सीख सकता है। आज आवश्यकता है कि हम श्री कृष्ण के आदर्शों को जीवन में धारण करें।

मुख्य अतिथि आर्य नेता महेन्द्र नागपाल व अध्यक्ष पूजा सलूजा ने भी सम्बोधित करते हुए श्री कृष्ण के गुणों का बखान किया।

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के अध्यक्ष अनिल आर्य ने श्री कृष्ण को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाला बताया। राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण आर्य ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

गायिका प्रवीणा ठक्कर, रविन्द्र गुप्ता, कमला हंस, रचना वर्मा, सरला बजाज, जनक अरोड़ा, ऊषा सूद, प्रतिभा खुराना, नरेश खन्ना, आदर्श सहगल, कौशल्या अरोड़ा आदि के मधुर भजन हुए।

– प्रवीण आर्य, मीडिया प्रभारी

योगीराज श्री कृष्ण ने विश्व को नई दिशा दी

आर्य समाज; हनुमान रोड, नई दिल्ली में वर्त्तमान युग में श्री कृष्ण की प्रासंगिकता पर छात्र-छात्राओं की भाषण प्रतियोगिता आचार्य योगेश जी की अध्यक्षता में हुई। जिसमें युवा वक्ताओं ने बताया कि योगीराज

श्री कृष्ण एक महापुरुष थे जिन्होंने समाज की बुराईयाँ कुरीतियाँ दूर करके धर्म की स्थापना की। रुक्मिणी ही एकमात्र उनकी अधार्गिनी थी। उन्होंने तत्कालीन दुराग्रही से हजारों नारियों को मुक्ति दिलाकर विश्व को एक नई दिशा दी। इस अवसर पर आर्य समाज हनुमान रोड के प्रधान-अरुण प्रकाश वर्मा, मंत्री-विजय दीक्षित, दयानन्द यादव, रघुमाल आर्य कन्या विद्यालय की प्राचार्या किरण तलवार, प्रबन्धक संजय कुमार भी उपस्थित रहे। विद्यार्थियों में कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान धर्मपाल आर्य व महामंत्री विनय आर्य ने कराई।

– चन्द्रमोहन आर्य, प्रेस सचिव

संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य में भव्य समारोह का आयोजन

संस्कृत गुरुकुल कराला, नई दिल्ली में गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, दिल्ली सरकार द्वारा संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें 'जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम्' के नारों का उद्घोष करते हुए छात्रों ने क्षेत्रीय जनता के साथ संस्कृत-यात्रा निकाली। गुरुकुल प्रांगण में आयोजित संस्कृत-समारोह में छात्रों द्वारा अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह की प्रस्तावना में प्रतिष्ठान के निदेशक

डॉ. जीतराम भट्ट ने कहा कि 'भारतीय ज्ञान-विज्ञान का कोश वैदिक वाङ्मय संसार का सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है, जो कि संस्कृत भाषा में है। ज्ञान-विज्ञान के सभी विषय, जैसे-सृष्टि-विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, संचार, विमानशास्त्र, वास्तु, भूगोल, खगोल, योग, आयुर्वेद, गणित, कला, संगीत, साहित्य, मनोविज्ञान , अध्यात्म, धर्म आदि के मूल स्रोत संस्कृत भाषा में ही हैं। गणित के शून्य, दशमलव, पाई जैसी संकल्पना सर्वप्रथम संस्कृत में ही हुईं। 'वसुधैव कुटम्बकम्' अर्थात् ग्लोबलाइजेशन का विचार सर्वप्रथम संस्कृत भाषा ने ही दिया।'

– शेखर झा, प्रचार सहायक

श्रावणी उपाकर्म (रक्षाबन्धन) पर हुआ यज्ञ प्रवचन

आर्य समाज हिरण मगरी, उदयपुर की ओर से श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन पर यज्ञ एवं प्रवचन हुए। आर्य समाज के मंत्री विद्वान् आचार्य वेदमित्र आर्य ने इस पर्व की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि यह पर्व स्वाध्याय, पढने-पढ़ाने, यज्ञ करने-कराने का पर्व है। पर्व पोर की

गांठ को भी कहते है जैसे गन्ने की गांठ जो एक पैरी से दूसरी पैरी तक रस पहुँचाती है, वैसे ही पर्व हमारे जीवन में रस का संचार करते हैं। पुरातन से अधुनातन से जोड़ते इस पर्व को ऋषि तर्पण भी कहते हैं। जैसै खाना खाने से हमारी तृप्ति होती है। वैसे ही ऋषिकृत ग्रथों को पढ़ने-पढ़ाने से ऋषियों की तृप्ति तर्पण होता है।

इससे पूर्व श्री इन्द्र प्रकाश यादव के पौरोहित्य में विशेष यज्ञ हुआ, साथ ही उन्होंने यज्ञ एवं पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. अमृतलाल तापड़िया, श्रीमती सुनीता देवी, श्रीमती चन्द्रकला आर्या, कृष्ण कुमार सोनी, अम्बालाल सनाढ्य, बलराज नूतन चौहान, रमेश जायसवाल आदि ने यजमान बन आहुतियाँ प्रदान की। प्रधान भँवर लाल आर्य ने आभार व्यक्त किया। संजय शांडिल्य के द्वारा शांतिपाठ एवं जयघोष के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

– रामदयाल मेहरा

हलचल

'आदर्श गुरु एवं आदर्श शिष्य' विचार गोष्ठी एक विशेष कार्यक्रम

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से रघुमल आर्य कन्या विघालय नई दिल्ली में 'आदर्श गुरु एवं आदर्श शिष्य' विचार गोष्ठी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री धर्मपाल आर्य, महामंत्री श्री विनय आर्य, सचिव नरेन्द्र हुड्डा, प्रधान अरुण प्रकाश वर्मा, चेयरमैन संजय कुमार व प्रधानाचार्या

किरण तलवार ने प्रेरक विचार रखे। आर्य नेत्री रश्मि वर्मा व वीना आर्या आदि ने इस अवसर पर सम्बोधित किया।

– चन्द्रमोहन आर्य, प्रेस सचिव

आर्य रत्न ठाकुर विक्रम सिंह जी का अभिनन्दन समारोह सम्पन्न

आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी ने १६ सितम्बर २०२३ को अपने जीवन के ८० वसंत पूरे किए। इस अवसर पर दिल्ली के ताल कटोरा

स्टेडियम में माननीय सुरेशचन्द्र आर्य, प्रधान-सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा; दिल्ली की अध्यक्षता में एक भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक विभूतियों ने ठाकुर साहब के गुणों की चर्चा करते हुए, उनसे प्रेरणा लेने का सन्देश दिया तथा उनके निरामय दीर्घायु हेतु प्रार्थना भी की। इस अवसर पर एक वेदनिधि ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से संन्यासी, विद्वानों, उपदेशकों तथा घर वापसी का कार्य कर रहे लोगों के योगक्षेम हेतु समय-समय पर उनकी सहायता की जाएगी। सम्पूर्ण आर्य जगत् तथा क्षत्रिय समाज में ठाकुर विक्रम सिंह एक ऐसा विश्रुत नाम है जो किसी परिचय की अपेक्षा नहीं रखता है। समाज एवं राष्ट्र के हित में निष्काम भाव से स्वयं को आहूत करने एवं वैदिक सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के लिए तन-मन-धन के रूप में सर्वस्व समर्पित करने का नाम ठाकुर विक्रम सिंह है। राष्ट्र गौरव एवं वैदिक जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा की अग्नि जो महर्षि दयानन्द ने मेरठ पधारने पर इनके परदादा ठाकुर लटूर सिंह के मन में प्रज्ज्वलित की थी वह आज लावा बनकर ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में लाखों नवयुवकों का पथ प्रदर्शन कर रही है।

आप न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, अपितु आप 'राष्ट्र निर्माण पार्टी' के संस्थापक व आदर्श पुरुष भी हैं। आप आर्य संस्कृति एवं हिन्दू हितों के सक्रिय राजपुरोहित भी हैं। वेद माता के आदेशानुसार- 'वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः' की सूक्ति को आपने अपने जीवन में उतारा ही नहीं बल्कि चरितार्थ करके दिखाया है। आप भ्रष्टाचार व तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठकर स्पष्टवादी व कट्टर मनुवादी राजपुरोहित हैं। क्षत्रिय समाज ने आपको राजर्षि उपाधि से सम्मानित किया। यह न्यास, इसके न्यासी और सत्यार्थ सौरभ परिवार के सभी सदस्य भी परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महनीय व्यक्तित्व को अधिकाधिक समय तक निरामय दीर्घायु प्रदान करें ताकि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।

– डॉ. आनन्द कुमार IPS, संयोजक-आयोजन समिति

शोक संवेदना

नहीं रही श्रीमती माहेश्वरी

हमारे न्यास के न्यासी आदरणीय डॉ. एस. के. माहेश्वरी जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुधीर बाला माहेश्वरी जी के निधन के समाचार से हम सभी स्तब्ध रह गए हैं। यह ठीक है कि एक लम्बे समय से गम्भीर बीमारी के साथ वे जूझ रही थीं, परन्तु उनके अन्दर जो जिजीविषा थी, संकट से जूझने की जो अन्तर्निहित शक्ति थी, उसके और प्रभु कृपा के भरोसे हमें विश्वास था कि यह संकट दूर हो जाएगा। परन्तु ऐसा हो ना सका और काल के क्रूर हाथों ने हमारे परिवार की उस अत्यन्त प्रिय सदस्या को हमसे छीन लिया। हम हतप्रभ और किंकर्तव्यविमूढ़ हैं। परन्तु आर्ष शास्त्र यहीं हमारा मागदर्शन करते हैं। 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु' जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी है। जीवन और मृत्यु परमपिता परमात्मा के अटल नियमों के अनुसार ही होते हैं अतः यहाँ मनुष्य को सर झुका करके उसकी आज्ञा को स्वीकार करने के अलावा और कुछ शेष नहीं रहता।

अनन्त सुरभि समेटे जो पुष्प उन्होंने पल्लवित किए हैं, उन्हें सयत्न मुरझाने न दें। उनके यशः शरीर को समृद्ध करने के लिए हम ऐसे लोकप्रिय और समाज उपयोगी कार्य करें जिनसे, उन कार्यों के सन्दर्भ में जब भी कोई चर्चा हो, दिवंगत आत्मा को सदैव स्मृत किया जा सके। हमारे प्रिय मित्र! डॉ. माहेश्वरी जी न्यास परिवार के सदस्य हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि न्यास के सभी न्यासी आपके इन दुःख भरे क्षणों में आपके साथ हैं और हम सब परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि दिवंगत आत्मा को अपनी ममतामयी गोद में स्थान प्रदान करें और साथ ही आपके और सम्पूर्ण परिवार के अन्दर वह शक्ति उत्पन्न करें ताकि गहन वियोग की इस पीड़ा को आप सभी सहन कर सकें।

– अशोक आर्य; अध्यक्ष

सत्यार्थ प्रकाश पहेली - ०२/२३ के विजेता

सत्यार्थ प्रकाश पहेली- ०२/२३ के चयनित विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं- श्री रतन लाल राजौरा; निम्बाहेड़ा (राज.), श्री पुरुषोत्तम मेघवाल; उदयपुर (राज.), श्रीमती सुनिता सोनी; बीकानेर (राज.), श्रीमती रूपा देवी सोनी; बीकानेर (राज.), श्री प्रधान जी आर्यसमाज; बीकानेर (राज.), श्रीमती उषा देवी सोनी; बीकानेर (राज.), श्री महेश चन्द्र सोनी; बीकानेर (राज.), श्रीमती कंचन देवी; बीकानेर (राज.), डॉ. राजबाला कादियान; करनाल (हरियाणा), श्री गणेश दत्त गोयल; बुलन्दशहर (उ.प्र.), श्री फूलचन्द यादव; मुरादनगर (उ.प्र.), श्री गोपाल राव; निम्बाहेड़ा (राज.), श्री जीवन लाल आर्य; दिल्ली, श्री रमेश चन्द्र राव; मन्दसौर (म.प्र)।

सत्यार्थ सौरभ के उपर्युक्त सभी सुधी पाठकों को हार्दिक बधाई।

CARRY ON MISSY
Dollar
Missy
CHIC CASUALS
CHURIDAR | ANKLE LENGTH | CAPRI
Chitrangada Singh
Over 85 shades
www.dollarglobal.in | Buy Online: www.dollarshoppe.in | Also available at all leading shopping portals
Dollar products are available in over 800 cities/towns and 100,000 MBOs across India | Govt. Certified STAR EXPORT HOUSE

RNI Registration No. RAJHIN/2012/47777 October-2023 Postal Registration No. RJ/UD/29-107/2021-2023

जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये विना जगत् की उत्पत्ति स्थिति, प्रलय करता है उस के सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान भी नहीं। वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के शरीर में भी परिपूर्ण हो रहा है। जब चाहै उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस अनन्त गुण, कर्म, स्वभावयुक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिये जन्ममरणयुक्त कहने वाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है? सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास पृष्ठ १९१

स्वत्वाधिकारी, श्रीमद्दयानन्द सत्यार्थप्रकाश न्यास, उदयपुर की ओर से प्रकाशक, मुद्रक अशोक कुमार आर्य द्वारा निदेशक- मुकेश चौधरी, चौधरी ऑफसेट प्रा. लि., 11/12 गुरुरामदास कॉलोनी, उदयपुर से मुद्रित प्रेषण कार्यालय- श्रीमद्दयानन्द सत्यार्थप्रकाश न्यास, नवलखा महल, गुलाबबाग, महर्षि दयानन्द मार्ग, उदयपुर-313001 से प्रकाशित, सम्पादक-अशोक कुमार आर्य

मुद्रण दिनांक- प्रत्येक माह की ३ तारीख | प्रेषण दिनांक- प्रत्येक माह की ७ तारीख | प्रेषण कार्यालय- मुख्य डाकघर, चेतक सर्कल, उदयपुर